

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 23-2016/Ext.]CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016 (MAGHA 26, 1937 SAKA)

### हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2016

संख्या 7/31/2014—3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए.आर., दिनांक 7 मई, 2015 के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं, दिए गए समय जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी है, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं :—

# अनुसूची

क्रम	विभाग का	सेवा का नाम	दी गई समय	पदाभिहित	प्रथम शिकायत	द्वितीय शिकायत
संख्या	नाम		सीमा	अधिकारी	निवारण प्राधिकारी	निवारण
						प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व	(i) फर्द केन्द्र स्तर पर	1 दिन	डयूटी पटवारी–1	सम्बद्ध तहसील का	सम्बद्ध
		सभी दस्तावेजों की			तहसीलदार	उप–मण्डल का
		प्रमाणित प्रतियां				सब डिवीजनल
		अर्थात् अधिकारों का				मैजिस्ट्रेट
		रिकार्ड (जमाबंदी)				,
		गिरदावरी, इन्तकाल				
		इत्यादि				
		(ii) गाँव स्तर पर सभी	2 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का	सम्बद्ध
		दस्तावेजों की			तहसीलदार	उप–मण्डल का
		प्रमाणित प्रतियां				सब डिवीजनल
		अर्थात् अधिकारों का				मैजिस्ट्रेट
		रिकार्ड (जमाबंदी)				^
		गिरदावरी, इन्तकाल				
		इत्यादि (यदि मांगी				
		गई प्रतियां हस्त्य हैं				
		तथा मांगे गए पृष्ठों				
		की संख्या 5 से कम				
		है)				

Price: Rs. 5-00 (3807)

		(iii) गाँव स्तर पर सभी	3 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का	I
		दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से अधिक किन्तु 15 से			तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
		दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 15 से अधिक है)	7 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप—मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
2.	राजस्व	भूमि का सीमांकन यदि खड़ी फसल नहीं खड़ी तो	45 दिन	सर्कल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
3.	राजस्व	सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन अर्थात् विक्रय, जी.पी.ए. भागीदारी विलेख इत्यादि	1 दिन	उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप—मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
4.	राजस्व	सभी प्रकार के पूर्व रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ	7 दिन	उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
5.	राजस्व	अविवादित इन्तकाल का सत्यापन	30 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
6.	राजस्व	भूमि का निजी बटवारा भूमि स्वामियों की आपसी सहमति	60 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप—मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
7.	राजस्व	आय प्रमाण–पत्र जारी करना	15 दिन	का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
8.	राजस्व	क्षेत्र / उत्तराधिकार / आश्रित प्रमाण–पत्र / प्रतिहस्ताक्षर इत्यादि	15 दिन	का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
9.	राजस्व	रहन प्रथम प्रभार (मोटगेज फर्स्ट चार्ज)	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

			1		1	
10.	राजस्व	हस्तातरण विलेख का रजिस्ट्रेशन	1 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
					मैजिस्ट्रेट	
11.	राजस्व	पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में	30 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
		रूपांतरण		का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
12.	राजस्व	अनुसूचित जाति प्रमाण	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
		_ч <del>д</del>		का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
13.	राजस्व	पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
				का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
14.	राजस्व	अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
		_чя чя		का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
15.	राजस्व	विशेष पिछड़ी जाति	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
		प्रमाण -पत्र		का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
16.	राजस्व	टपरीवास प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
				का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
17.	राजस्व	विमुक्त जाति प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
				का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
18.	राजस्व	आर्थिक रूप से पिछड़ी	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
		सामान्य जाति प्रमाण-पत्र		का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
19.	राजस्व	आवास प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
				का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
20	राजस्व	ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल	सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध जिले का
				का तहसीलदार	का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त
21.	खाद्य एवं	औषध निर्माण अनुज्ञा का	45 <del>G</del> T	गान्य औषध चित्रंबन	आयुक्त, खाद्य एवं	अतिरिक्त मुख्य
21.	औषध प्रशासन		45 194	राज्य आयय गियंत्रक	औषध प्रशासन	सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य
	<u> </u>	2. 2.2.2		, c ·	<u> </u>	विभाग
22.	·	बल्क दवाओं / योगों के	15 दिन	राज्य आषध नियत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं	अतिरिक्त मुख्य
	औषध प्रशासन	निर्माण के लिए लाइसेंस			औषध प्रशासन	सचिव हरियाणा
		जारी करना				सरकार स्वास्थ्य विभाग
23.	स्वास्थ्य	जन्म / मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां		जिला रजिस्ट्रार	सम्बद्ध जिले का	सम्बद्ध जिले का
		को प्रमाणित प्रतियां		जन्म / मृत्य सम्बद्घ	रजिस्ट्रार जन्म तथा	उपायुक्त
		–ग्रामीण क्षेत्र (पहले से		प्राथमिक स्वास्थ्य	मृत्यु— सम्बद्ध जिले का सिविल सर्जन	
		[막네[환다]	44 🗪	केन्द्र तथा	का ।सावल संजन	
		पंजीकृत) चालू वर्ष के लिए पूर्व वर्षों के लिए	14 दिन 30 दिन	सामुदायिक		
		पूप पषा क ।लए	उप ।दन	स्वास्थ्य केन्द/ सम्बद्ध जिले के		
				उप सिविल		
				सर्जन(जन्म तथा		
				मृत्यु)		
		l	1	I.	I	1

24	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण पर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण(घटना के एक वर्ष बाद)	60 दिन (रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार तथा सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक के लिए 20 दिन)	रजिस्ट्रार	सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
25.	स्वास्थ्य /शहरी स्थानीय निकाय	जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र (नाम प्रविष्टि तथा नया जन्म प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां)	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय / अतिरिक् त जिला रजिस्ट्रार एवं उप सिविल सर्जन, जो भी लागू हो।	रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्यु)	J
26.	स्वास्थ्य	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के बाद जन्म तथा मृत्यु की प्रविष्टि का शुद्धिकरण	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय / यथा लागू जिला रजिस्ट्रार	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	_
27.	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	(i) जन्म / मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां– नगर निगम शहर चालू वर्ष के लिए	14 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		पहले से ही पंजीकृत (ii) जन्म / मृत्यु प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रतियां—नगर कस्बों चालू वर्ष के लिए	30 दिन 7 दिन	सम्बद्धं नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रैट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
			15 दिन			
28.	शहरी स्थानीय निकाय	जल आपूर्ति तथा मलवहन कनैक्शन (केवल नगर निगम गुड़गांव तथा फरीदाबाद में लागू)	7 दिन		सम्बद्ध नगर निगम में कार्यकारी अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
29.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियों में हस्तांतरण अभिलेख जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी, सम्बद्ध नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध नगर पालिका समिति में सचिव	अधिकारी / उप नगर पालिका आयुक्त, परिषदों तथा	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध जिला का
30.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिन	साचव नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
31	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगमों द्वारा व्यावसाय अनुज्ञप्ति का नवीकरण	12 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त

32.		गलियों / सड़कों से ठोस अपशिष्ट हटाना	2 दिन	निरीक्षक, सम्बद्ध नगर परिषद में मुख्य सफाई	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अधिकारी / उप नगर पालिका आयुक्त, नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति के मामले में सचिव	निगम शहरों के मामले में संयुक्त आयुक्त, नगर पालिका कस्बों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी
33.	शहरी स्थानीय निकाय	स्ट्रीट लाईट्स का प्रतिस्थापन	10 दिन	निगम शहरों में सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषद तथा समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में नगर पालिका अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में अधीक्षक अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में सम्बद्ध उपमण्डल का उप मण्डल अधिकारी
34.	शहरी स्थानीय निकाय	वाटर लिकेज / सिवरेज ब्लाक्ड / ओवर फ्लो (नगर निगम गुड़गांव तथा फरीदाबाद के मामले में)	2 दिन	नगर निगम गुड़गांव या फरीदाबाद के सम्बन्ध में निगम शहरों में सहायक अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुड़गांव के मामले में कार्यकारी अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुड़गांव के मामले में अधीक्षक अभियन्ता / कार्यकारी
35.	शहरी स्थानीय निकाय	(i) 1000 वर्गमीटर तथा उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के सिवाय सभी उपयोगों तथा आकारों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिका परिषद / समितियों के मामले में सम्बद्ध उपमण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रैट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर निगम का आयुक्त	नगर पालिका परिषद / समितियों के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थाानीय निकाय विभाग
		(ii) 1000 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार

	Γ	(···) 5000 <del></del>	loo <del></del>	I	<del>                                      </del>	
		(iii) 5000 वर्गमीटर तथा से अधिक के स्थलों के लिए वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना		योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
		(iv) नगर पालिका गुड़गांव तथा फरीदाबाद में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन (5 एकड़ तक)	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर निगम गुड़गांव / फरीदाबाद	आयुक्त नगर निगम गुड़गांव /फरीदाबाद	
		(v) 5 एकड़ से अधिक के स्थलों के लिए गुड़गांव तथा फरीदाबाद में तथा अन्य नगर निगमों / परिषदों / समितियों में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन		मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीयनिकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
36.	निकाय	नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्थलों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति सिवाय उन मामलों में जहां सरकार की सक्षमता है		मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
37.		अग्नि अनापित्त प्रमाण पत्र का नवीनकरण	15 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप— मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त
38		निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) जारी करना:— (क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के होटल (ए-5)	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप— मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	

			l		1	1
		(ख) 8000 वर्ग मीटर तक				
		के प्लाट क्षेत्र वाले 15				
		मीटर से कम की ऊंचाई				
		के शैक्षिक भवन (बी)				
		(ग) संस्थागत भवन (सी)				
		प) ४००० वर्ग मीटर तक				
		के प्लॉट क्षेत्र सहित 15				
		मीटर से कम की ऊंचाई				
		के अस्पताल, सैनोटोरिया				
		(रोगनाशक) तथा नर्सिंग				
		होम (सी—ा) पप) ४०००				
		वर्ग मीटर तक के प्लॉट				
		क्षेत्र सहित 10 मीटर से				
		कम की ऊंचाई के				
		कस्टोडियल (परीक्षक)				
		तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल				
		(घ) 4000 वर्ग मीटर तक				
		के प्लॉट क्षेत्र सहित 15				
		मीटर से कम की ऊंचाई				
		के सभा भवन (डी—ा से				
		डी–ट)				
		(ड)4000 वर्ग मीटर तक				
		के प्लॉट क्षेत्र सहित 15				
		मीटर से कम की ऊंचाई				
		के मर्केटाइल और व्यापार				
		भवन (इ, एफ–1 एण्ड				
		एफ–2)				
		(च) औधोगिक भवन (जी)				
		(i) ऊंचाई में 15 मीटर से				
		कम किन्तु ४००० वर्ग				
		मीटर तक का प्लाट क्षेत्र				
		कम खतरनाक (जी–1)				
		(ii) ऊंचाई में 15 मीटर से				
		कम किन्तु ४००० वर्ग				
		मीटर तक का प्लाट क्षेत्र				
		( साधारण खतरनाक				
		(जी—2)				
		(iii) ऊंचाई में 15 मीटर				
		से कम किन्तु 4000 वर्ग				
		मीटर तक का प्लाट क्षेत्र				
		(उच्च खतरनाक (जी–3)				
		(छ) ऊंचाई में 15 मीटर				
		से कम तथा ४००० वर्ग				
		मीटर तक के प्लाट क्षेत्र				
		के भण्डारण भवन (एच)				<u>                                       </u>
39	शहरी स्थानीय	निम्नलिखित के मामले में	60 दिन	अग्नि केन्द्र	नगर समिति तथा	नगर निगम के
	निकाय	राष्ट्रीय भवन संहिता की		अधिकारी	परिषद के मामले में	मामले में अपर
		नामावली के अनुसार			संबंधित जिले का	मुख्य सचिव,
		भवन के मामले में अग्नि			उपायुक्त, नगर	शहरी विकास
		अनापति प्रमाण पत्र (एन.			निगम के मामले में	विभाग जबकि
		ओ.सी.)जारी करनाः–			संबंधित निगम का	नगर परिषद
		(क) आवासीय भवन				द्वारा समितियों
					आयुक्त	के मामले में
	<u> </u>	(哎):一				पर मामला म

		I	<u> </u>	
(i) 15 मीटर तथा उससे			निदेशक	
अधिक किन्तु ऊंचाई में			स्थानीय	निकाय।
35 मीटर से अधिक की				
शयनशाला (ए—3) तथा				
फलैट गृह (अपार्टमैन्ट				
हाउस)(ए-4)				
(ii) 4000 वर्ग मीटर से				
अधिक किन्तु ८००० वर्ग				
मीटर से कम के प्लाट				
क्षेत्र के 15 मीटर से कम				
ऊंचाई के होटल (ए–5)				
(ख) 8000वर्ग मीटर से				
अधिक किन्तु 16000 वर्ग				
मीटर से कम के प्लाट				
क्षेत्र के 15 मीटर से कम				
ऊंचाई के शैक्षणिक भवन				
(बी)				
(ग)संस्थागत भवन (सी)				
(i) 4000 वर्ग मीटर से				
अधिक किन्तु ८००० वर्ग				
मीटर से कम के प्लाट				
क्षेत्र सहित 15 मीटर से				
कम ऊंचाई के अस्पताल,				
सैनाटोरिया (रोगनाशक)				
तथा नर्सिंग होम (सी-1)				
(ii) 4000 वर्ग मीटर से				
अधिक किन्तु 16000 वर्ग				
मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र				
सहित 10 मीटर से कम				
की ऊंचाई के				
कस्टोडियल(सी–2)				
(परीक्षक) तथा दण्डिक				
तथा प्लैन्टल (सी–3)				
(घ) ४००० वर्ग मीटर से				
अधिक किन्तु 8000 वर्ग				
मीटर से कम प्लाट क्षेत्र				
सहित 10 मीटर से कम				
ऊचाई के सभा भवन				
(डी-1 से डी-5)				
(ड.) 4000 वर्ग मीटर से				
अधिक किन्तु ८००० वर्ग				
मीटर से कम प्लाट क्षेत्र				
सहित 15 मीटर से कम				
ऊंचाई के मर्केटाईल और				
व्यापार भवन ( ई,				
एफ-1 तथा एफ-2)				
(च)औधोगिक भवन(जी)				
(i) 4000 वर्ग मीटर से				
अधिक तथा ८००० वर्ग				
मीटर से कम के प्लाट				
क्षेत्र सहित 15 मीटर से				
कम ऊंचाई के कम				
खतरनाक (जी–1)				
 	•	 		

		औधोगिक भवन मध्यम				
		खतरनाक (जी–2)				
		(ii) 4000 वर्ग मीटर से				
		अधिक तथा ८००० वर्ग				
		मीटर से कम के प्लाट				
		क्षेत्र सहित 15 मीटर से				
		कम ऊंचाई के साधारण				
		खतरनाक (जी–2)				
		(iii) 4000 वर्ग मीटर से				
		अधिक तथा ८००० वर्ग				
		मीटर से कम के प्लाट				
		क्षेत्र सहित 15 मीटर से				
		कम ऊंचाई के औधोगिक				
		भवन उच्च खतरनाक				
		(जी-3)				
		(छ) औधोगिक भण्डारण				
		भवन(एच) ४००० वर्ग				
		मीटर से अधिक तथा				
		8000 वर्ग मीटर से कम				
		क्षेत्र के प्लाट सहित 15				
		मीटर से कम ऊंचाई के				
		भण्डारण भवन ।				
40.	शहरी खानीग	क्रम संख्या ३८ तथा ३९	60 दिन	अग्नि अधिकारी	निदेशक, शहरी	अपर मुख्य
40.	निकाय	में न आने वाले भवनों के	00 14 1		स्थानीय निकाय	सचिव, शहरी
	। नपगय			मुख्यालय	स्थानाय ।नकाय	विकास विभाग।
		मामले के राष्ट्रीय भवन				विकास विमाग ।
		संहिता की नामावली के				
		अनुसार भवनों के मामले				
		में अग्नि अनापत्ति प्रमाण				
		पत्र (एन०ओ०सी०) जारी				
		करना ।				
41.	शहरी स्थानीय	निम्नलिखित के मामले में	60 दिन	अग्नि केन्द्र		नगर समिति
	निकाय	राष्ट्रीय भवन संहिता की		अधिकारी	परिषद के मामले में	तथा परिषद के
		नामावली के अनुसार			सम्बन्धित उप–	मामले में संबंधित
		भवनों के मामले में				जिले का
		अग्निशमन स्कीम का				उपायुक्त नगर
		अनुमोदन तथा			(सिविल), नगर निगम	
		<u> </u>				
		नवीनकरण:—			के मामले में संबंधित	
		क) 4000 वर्ग मीटर तक			_	का आयुक्त
		के प्लाट क्षेत्र वाले 15			आयुक्त	
		मीटर से कम				
		की ऊंचाई के होटल				
		(ए−5)				
		ख) 8000 वर्ग मीटर तक				
		के प्लाट क्षेत्र वाले 15				
		मीटर से कम की ऊंचाई				
		के शैक्षिक भवन (बी)				
		ग) संस्थागत भवन (सी)				
		(i) 4000 वर्ग मीटर तक				
		के प्लॉट क्षेत्र सहित 15				
		मीटर से कम की ऊंचाई				
		के अस्पताल, सैनोटोरिया				
		(रोगनाशक) तथा नर्सिंग				
		होम (सी—ा);				
	•			•	•	

		(ii) 4000 वर्ग मीटर तक				
		के प्लॉट क्षेत्र सहित				
		10 मीटर से कम की				
		ऊंचाई के कस्टोडियल				
		. '				
		(परिक्षक)(सी–2) तथा				
		दण्डिक तथा प्लैन्टल(सी				
		3)				
		घ) ४००० वर्ग मीटर तक				
		के प्लॉट क्षेत्र सहित 10				
		मीटर से कम की ऊंचाई				
		के सभा भवन (डी 1 से				
		` _				
		डी 5), ड 4000 वर्ग				
		मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र				
		सहित 15 मीटर से कम				
		की ऊंचाई के				
		मरकाटाईल एवं व्यापार				
		भवन (इ, एफ-1 एवं				
		एफ—2)				
		च) औधोगिक भवन (जी)				
		(i) ऊंचाई में 15 मीटर से				
		कम किन्तु ४००० वर्ग				
		मीटर तक का प्लाट क्षेत्र				
		(कम खतरनाक (जी–1)				
		(ii) ऊंचाई में 15 मीटर से				
		कम किन्तु ४००० वर्ग				
		मीटर तक का प्लाट क्षेत्र				
		(साधारण खतरनाक)				
		(जी–2)				
		(iii) ऊंचाई में 15 मीटर				
		से कम किन्तु ४००० वर्ग				
		मीटर तक का प्लाट क्षेत्र				
		(उच्च खतरनाक (जी–3)				
		(छ) ऊंचाई में 15 मीटर				
		से कम तथा ४००० वर्ग				
		मीटर तक के प्लाट क्षेत्र				
	_	के भण्डारण भवन (एच)				
42.		निम्नुलिखित के मामले में	60 दिन	अग्नि केन्द्र		अपर मुख्य
	निकाय	राष्ट्रीय भवन संहिता की		अधिकारी		सचिव, भाहरी
		नामावली के अनुसार				विकास विभाग।
		भवन के मामले में अग्नि			उपायुक्त, नगर	नगर समिति
		अनापति प्रमाण पत्र (एन.			निगम के मामले में	तथा परिषद के
		ओ.सी.)जारी करनाः—			ानगम के मामल म संबंधित निगम का	तथा पारषद क मामले में
		(क) आवासीय भवन				
		(y):-			आयुक्त	निदेशक शहरी
		(i) 15 मीटर तथा उससे				स्थानीय निकाय।
		अधिक किन्तु ऊंचाई में				
		35 मीटर से अधिक नही				
		की शयनशाला (ए—3)				
		तथा फलैट गृह				
		(अपार्टमैन्ट हाउस) (ए–4)				
		(ii) 4000 वर्ग मीटर से				
		अधिक किन्तु ८००० वर्ग				
		मीटर से कम के प्लाट				
		क्षेत्र के 15 मीटर से कम				
		ऊंचाई के होटल (ए-5)				
	1	(ख) 8000 वर्ग मीटर से		1	1	İ

अधिक किन्तु 16000 वर्ग भीटर से कम के जाट कों जुं के 15 भीटर से कम जंबाई के शैक्षणिक पवन (वी) (1) (4000 वर्ग भीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग भीटर से कम के जाट कों सहित (की-पा) (1) (4000 वर्ग भीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग भीटर से कम के जाट कें के 10 भीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग भीटर से कम के जाट कों के 10 भीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग भीटर से कम के जाट कों के स्था पत्ने-टन) (सी-9) और पैनल एवं पत्ने-टन) (सी-9) और पैनल एवं पत्ने-टन) (की-9) और पैनल एवं पत्ने-टन) (की-1) (ह) 4000 वर्ग भीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 भीटर से कम के जाई के स्था अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 भीटर से कम के जाई के मार्कचाईल एवं व्यापार पद्म-2) (ह) अधिमीक मचन (जी) (1) 4000 वर्ग भीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट के सहित 15 भीटर से कम के जाई के औसीगिक मचन कम खतरामक (जी-2) (हा) 4000 वर्ग भीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट के सहित 15 भीटर से कम के जाई के औसीगिक मचन कम खतरामत (जी-2) (हा) 4000 वर्ग भीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट के सहित 15 मीटर से कम कं जाई के औसीगिक मचन जांच्य खतरामत (जी-2) (हा) 4000 वर्ग भीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट के सहित 15 मीटर से कम कं जाई के औसीगिक मचन जांच्य खतरामक (जी-2) (हा) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट के समित 15 मीटर से कम कं जांई के अधिगीक क्ष्य 8000 वर्ग मीटर पलाट के मचहित 15 मीटर से कम कं जांई के भारताल (जी-2)			
भीरर से कम के प्लाट क्षेत्र के री भीरर से कम अंवाई के रीश्विणिक मवन (वी) (वा) (वा) (वा) (वा) (वा) (वा) (वा) (वा	अधिक किन्त 16000 वर्ग		
क्षेत्र के 15 मीटर से कम उज्ञाई के शैबणिक मवन (क्षी) (ग) संस्थागत भवन (सी) (ग) अ000 वर्ग मीटर से अमेक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के जाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से अमेक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के जाट क्षेत्र सहित 16 मीटर से अमेक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अमेक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अमेक के जाट क्षेत्र के अस्पताल, सेनाटरिया (रिगनाशक) तथा निर्मा होग (सी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से कम के जाद क्षेत्र के गीठ मीटर से कम के जाद क्षेत्र के प्रति (सी-2) (श) 4000 वर्ग मीटर से अमेक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्रति कम सकता होग के समा मवन (डी-1) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अमेक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पर ते कम कंबाई के समा मवन (डी-1) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अमेक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पर ते कम कंबाई के मार्कटर्दित एवं व्यापाप मवन (ह) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अमेकि किन्तु 8000 वर्ग मीटर पर ते कम कंबाई के मार्कटर्दित एवं व्यापाप मवन (ह) (एक-1 तथा एफ-2) (ह) अभिगितक मवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अमेकि किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्राट के अमेकिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से का अमेकिक मीटर से का अमेकिक मीटर से किन्तु 800	मीट्य से कम के ज्यांट		
जंबाई के शैक्षणिक मवन (शी) (श) संख्याना भवन (शी) (1) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र बहित 15 मीटर से कम फंबाई के अस्पताल, संनातिश्वा (शेमानाशक) त्या निर्मत (शीन)) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के पाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम जंबाई करूरोडियल (सी-2) और मैनल एवं रेलैन्टन से अधिक किन्तु 5000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम जंबाई के समा भवन (डी-1 से जी-5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के मार्केटाईल एवं व्यापार स्वन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (ज) अंबोमिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के मार्केटाईल एवं व्यापार स्वन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (ज) अंबोमिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के आधिकि किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के आधिकि किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के आधिकि किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के जोधोमिक मवन पाट खें आधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के जीधोमिक वर्ग मच्या ख्वारानाक (जी-3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंबाई के जीधोमिक पवन जंब्ब खवरानाक (जी-3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अम जंबाई के जीधोमिक पवन जंब्ब खवरानाक (जी-3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अम जंबाई के जीधोमिक पवन जंब्ब			
(बी) (ग) संस्थागत भवन (सी) (1) 4000 वर्ग नीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग नीटर से कम के प्लाट क्षेत्र लाईत १५ मीटर से कम कंचारे के अस्पताल, सेनाटोरिया (रीगनाशक) तथा नीटिंस होम (सी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के प्लाट क्षेत्र के पे गीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट के साम माचन (डी-1 से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम कंचाई के समा माचन (डी-1) (डी) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम कंचाई के मार्कटाईल एवं व्यापार पवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (च) औद्योगिक मवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम कंचाई के आधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 16 मीटर से कम कंचाई के औवीनीक मवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम कंचाई के औवीनीक मवन कम खतरनाक (जी-2) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पता होत्र सहित 15 मीटर से कम कंचाई के औवीनीक मवन औद्योगिक मवन औद्योगिक मवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पता होत्र सहित 15 मीटर से कम कंचाई के औवीनीक मवन औद्योगिक मवन औद्योगिक मवन औद्योगिक मवन औद्योगिक मवन मध्यम खलरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पत्ता होत्र सहित 15 मीटर से कम कंचाई के औवानीक मवन			
(ग) संस्थागत मवन (सी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट शेत्र सहित 15 मीटर से कम के पहाट शेत्र सहित (शगभाशक) तथा निर्मिश्च (शणभाशक) तथा निर्मिश्च (शणभाशक) तथा निर्मिश्च (शणभाशक) तथा निर्मिश्च से अम्मिश्च (श्री से अम्म अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च से अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च स			
(ग) संस्थागत मवन (सी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट शेत्र सहित 15 मीटर से कम के पहाट शेत्र सहित (शगभाशक) तथा निर्मिश्च (शणभाशक) तथा निर्मिश्च (शणभाशक) तथा निर्मिश्च (शणभाशक) तथा निर्मिश्च से अम्मिश्च (श्री से अम्म अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च से अम्मिश्च (श्री से से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च से अम्मिश्च स	(बी)		
(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के अस्पताल, सेनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नरिय होग (मी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र को 10 मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित (सी—3) (सी—3) और मैनल एवं पेलैन्टल (सी—3) (से 4000 वर्ग मीटर से कम उचाई के समा पवन (बी—1 से डी—5) (अ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के सार्केटाईल एवं व्यापार पवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (स) आधीकि किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के आधीकि किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम उचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से कम उचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से उचाट के अधीति 15 मीटर से कम उचाई के औधोगिक भवन माञ्चम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम उचाई के औधोगिक भवन जच्च खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से उपलित हम्स सिहत 15 मीटर से कम उचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के पहाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम के पहाट क्षेत्र सहित (रानाशक) तथा नासिंग होम (सी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के पहाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट के मार अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट के समिटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट के समिटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट के सम्बाद के औधोगिक मवन कम खातरानाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट के सम्बाई के औधोगिक मवन कम खातरानाक (जी—1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से कम अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट के सम्बाई के औधोगिक मवन मध्यम खातरानाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्त			
मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम अंबाई के अस्पताल, सेनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नार्सिग होन (सी–1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम अंबाई कसटोडियल (सी–2) और पैनल एयं पैनल्टल (सी–3) और पैनल एवं पैनल्टल (सी–3) और पैनल एवं मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम अंबाई के समा अवग (8)—1 से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम अंबाई के मार्कटाईल एवं व्यापार मवन (इ एफ–1 तथा एफ–2) (स) अधिकि किन्तु 9000 वर्ग मीटर पर्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम अंबाई के मार्कटाईल एवं व्यापार मवन (इ एफ–1 तथा एफ–2) (स) अधिकि किन्तु 9000 वर्ग मीटर पर्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम अंबाई के अधिविक किन्तु 9000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के अधिविक किन्तु 9000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के अधिविक किन्तु 9000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 16 मीटर से कम उचाई के अधिविक मवन कम खातराला (जी–1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के अधिविक किन्तु 9000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के अधिविक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम अचाई के अधिवेत किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम सेटर से से से सेटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम अचाई के अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम अचाई के अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम अचाई के अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम अचाई के अधिक किन्तु 9000 वर्ग मीटर से कम अचाई किन			
क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के अस्पताल, सेनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नारील दोग (सी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम जंचाई कमटोरियल (सी—2) और पैनल एवं पैलैन्टल (सी—3) (दा) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊचाई के समा भवन (डी—1 से डी—5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एनाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के मार्कटाईल एवं व्यापाप पवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (व) ओघोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक गवन कम खारानाल (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक गवन कम खारानाल (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक गवन नम खारानाल (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक मवन मध्यम खारानाल (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक मवन जंचा खारानाल (जी—2) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक मवन जंचा खारानाल (जी—3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई			
कम ऊंचाई के अस्पताल, सेनाटिया (रोगनाशक) तथा निर्मिग क्षेम (भी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम फंचाई कमरोडियल (भी-2) और पैनल एवं पेलेन्टल (भी-3) और पैनल एवं पेलेन्टल (भी-3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सक्षित 10 मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सक्षित 10 मीटर से कम फंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सक्षित 15 मीटर से कम फंचाई के मार्कटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (च) औधीयिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम फंचाई के औधीयिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम फंचाई के औधीयिक पवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम फंचाई के औधीयिक पवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से आधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्	मीटर से कम के प्लाट		
कम ऊंचाई के अस्पताल, सेनाटिया (रोगनाशक) तथा निर्मिग क्षेम (भी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम फंचाई कमरोडियल (भी-2) और पैनल एवं पेलेन्टल (भी-3) और पैनल एवं पेलेन्टल (भी-3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सक्षित 10 मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सक्षित 10 मीटर से कम फंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सक्षित 15 मीटर से कम फंचाई के मार्कटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (च) औधीयिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम फंचाई के औधीयिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम फंचाई के औधीयिक पवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम फंचाई के औधीयिक पवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से आधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्	क्षेत्र सहित 15 मीटर से		
सैनाटोरिया (ऐगनाशक) तथा नर्सिंग डोम (सि—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 15000 वर्ग गीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम फंचाई कमटोडियल (शी—2) और पैनल एवं पेलेन्द्रल (शी—3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम कंचाई के समा भवन (डी—1 से डी—5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के गार्कटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (ख) अधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के आंग्रीविक मिटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर स्ताट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के आंग्रीविक मिटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर स्ताट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के आंग्रीविक मिटर क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के आंग्रीविक मिटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर स्ताट क्षेत्र सहित 16 मीटर से कम फंचाई के औंग्रीविक भवन कम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 16 मीटर से कम फंचाई के औंग्रीविक भवन च्लयम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 16 मीटर से कम फंचाई के औंग्रीविक भवन ज्वच खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई			
तथा निर्मेग होम (भी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के एलाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम ऊचाई कसरोडियल (सी—3) (श) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊचाई के समा भवन (डी—1 से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के अधित (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट के अधित (ह) एक—1 तथा एफ—2) (ह) अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम ऊचाई के मार्कटाईल एवं व्यापार भवन (ह एफ—1 तथा एफ—2) (ह) अधिकिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के अधिमिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम ऊचाई के औधोमिक भवन कम खलरमाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त 15 मीटर से कम उचाई के औधोमिक भवन अधित किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित्त (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट के प्रसित से			
(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 18000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के को भीटर से कम उप्लाट कमटाडियल (सी-2) और पैनल एवं पेलैन्टल (सी-3) (थ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम ऊंचाई के समा भवन (डी-1 से डी-5) (ड]. 4000 वर्ग मीटर से कम ऊंचाई के समा भवन (डी-1 से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पंतर एकट बीत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार मवन (इंएक-1 तथा एफ-2) (व) अधिमिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एकट शत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्राट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्राट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्राट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अध्या खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर एकट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-2) (खी) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक 8000	सनाटारिया (रागनाशक)		
अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम फचाई कमस्टोडियल (ची-2) और चैनल एवं पैलैन्टल (ची-3) (व) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम फंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5) (उ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (व) औधोगिक मवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के ओधेगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन प्लाच खारनाक (जी-3) (छ) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन उच्च खारनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक 8000 वर्ग			
अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम फचाई कमस्टोडियल (ची-2) और चैनल एवं पैलैन्टल (ची-3) (व) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम फंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5) (उ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (व) औधोगिक मवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के ओधेगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन प्लाच खारनाक (जी-3) (छ) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम फंचाई के औधोगिक भवन उच्च खारनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक 8000 वर्ग	(ii) 4000 वर्ग मीटर से		
मीटर से कम के पलाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम उचाई कमटोडियल (सी-2) और पैनल एवं पेलैन्टल (सी-3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्रवाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एजाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्नेटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (व) औद्योगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एजाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एजाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एजाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन औद्योगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एताट क्षेत्र महित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र महित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (उ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र महित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
क्षेत्र के 10 मीटर से कम जंबाई कसरोडियल (भी-2) और पैनल एवं पैतेन्टल (भी-3) (य) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 10 मीटर पे कम ऊबाई के समा भवन (\$)—1 से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के मार्केटाईल एवं व्यापार मवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (व) आधागिक मवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से कम ऊबाई के आधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के अधिगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के औधोगिक भवन कम खतरमाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के औधोगिक भवन कम खतरमाक (जी—1) (iii) 4000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के औधोगिक भवन कम खतरमाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर पोट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के औधोगिक मवन अधिगिक मवन मध्यम खतरमाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर पोट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के औधोगिक भवन उच्च खतरमाक (जी—3) (g) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पोट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊबाई के अधिगिक भवन उच्च खतरमाक (जी—3) (g) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक 8000 वर्ग से			
जंचाई कसटोडियल (भी-2) और पैनल एवं पैलेन्टल (भी-3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से आधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 10 मीटर से कम जंचाई के सभा भवन (जी-1 से जी-5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम जंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (ह) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक भवन कम खलरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक भवन कम खलरनाक (जी-1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम जंचाई के औधोगिक भवन			
(सी—2) और पैनल एयं पेलैन्टल (सी—3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 10 मीटर से कम ऊंचाई के समा भवन (डी—1 से डी—5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अमिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के माम कि किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्कटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (ब) अधिगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के ओधिगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के ओधिगिक भवन कम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधिगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधिगिक भवन जच्च खतरनाक (जी—3) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधिगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधिगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (ह) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई			
पैलैन्टल (भी-3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा मवन (डी-1 से उी-5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अमिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार मवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (च) आधारिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधारिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधारिक भवन मच खतरनाक (जी-1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधीरिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधीरिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधीरिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के आधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के आधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के आधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
पैलैन्टल (भी-3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा मवन (डी-1 से उी-5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अमिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार मवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (च) आधारिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधारिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधारिक भवन मच खतरनाक (जी-1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधीरिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधीरिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधीरिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के आधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के आधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के आधिरिक मिन्तु 8000 वर्ग मीटर पाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	(सी–2) और पैनल एवं		
(सी-3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा मवन (डी-1 से डी-5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर पे कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार मवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (च) अधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अध्याई के औधोगिक भवन अध्याई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक सवन उच्च खतरनाक (जी-3) (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
(घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी—1 से डी—5) (ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (च) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधारिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक क्षवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के अधिविक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के अधिविक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई के अधिविक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित । 15 मीटर से कम ऊंचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर पे कम ऊंचाई के सभा भवन (डी—1 से डी—5) (ढ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (ख) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर पे अधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर पे अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर पे कम उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई के औधोगिक मवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई के अधोक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई के अधोक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई के अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई के अधोक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई के अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई के अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे एकम अंचाई			
मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5) (ड), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु, 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (ए) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन उंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन एंडा खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (७) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	[(न्र) 4000 वंग मादर स्रे		
मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5) (ड), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु, 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2) (ए) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन उंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन एंडा खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (७) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	अधिक किन्तु ८००० वर्ग		
10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी—1 से डी—5) (ड.) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (च) अधिगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे कम ऊंचाई के औधिगिक भवन (जी) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पे कम ऊंचाई के औधिगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधिगोक भवन उच्च खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	मीटर प्लाट क्षेत्र सहित		
के सभा भवन (डी—1 से डी—5) (७) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (च) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन चध्य खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उच्चाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एवाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उच्चाई			
डी—5) (ड.) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (ख) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन संहत के औधोगिक भवन अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
(ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (व) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक मवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधागिक भवन स्थम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम ऊचाई	पि समा मपन (डा—१ स		
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ–1 तथा एफ–2) (व) अधिगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी–1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अध्यम् खतरनाक (जी–2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ–1 तथा एफ–2) (व) अधिगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी–1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अध्यम् खतरनाक (जी–2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	(ड.) 4000 वर्ग मीटर से		
मीटर पोट सेंत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ–1 तथा एफ–2) (च) औद्योगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन कम खतरनाक (जी–1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन अद्यार्थ एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन अद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के अद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई	अधिक किन्त ८००० वर्ग		
15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (च) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधोधोगिक भवन अधोधोगिक भवन अधोधोगिक भवन अधोधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	मीटर प्लाट क्षेत्र सहित		
के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (व) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई	45 100 17 1100		
भवन (इ एफ—1 तथा एफ—2) (च) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर पे कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर पे कम ऊंचाई			
एफ—2) (च) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन प्रथम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन पर्थम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
एफ—2) (च) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन प्रथम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन पर्थम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	भवन (इ एफ–1 तथा		
(च) औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधेगिक भवन स्थ्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर पलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन अधोगिक भवन खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	(1) 4000 वर्ग माटर स्		
मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	अधिक किन्तु ८००० वर्ग		
15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	मीटर प्लाटॅ क्षेत्र सहित		
के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम उंचाई			
खतरनाक (जी—1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई			
(ii) 4000 वर्ग मींटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मींटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मींटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अधोगिक भवन अधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी–2) (iii) 4000 वर्ग मींटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मींटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मींटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ) 4000 वर्ग मींटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मींटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मींटर से कम ऊंचाई के अधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ) 4000 वर्ग मींटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मींटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मींटर से कम ऊंचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सिहत	(ii) 4000 वर्ग मीटर से		
मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से	अधिक किन्त ८००० वर्ग		
15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन अँधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी—2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर एलाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से नीटर से कम ऊंचाई	मीटर प्लाट श्रेत सहित		
के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित			
औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित	15 माटर स कम ऊचाई		
खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
(iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के ओधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	अ।धक किन्तु , ८००० वर्ग		
15 मीटर से कम ऊंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी—3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
खतरनाक (जी—3) (छ) ४००० वर्ग मीटर से अधिक किन्तु ८००० वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
(छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई	(छ) ४००० वर्ग मीटर से		
मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई			
15 मीटर से कम ऊंचाई			
	15 मीटर से कम ऊंचाई		
	7 7 31(1 17 1 (\9)		

43.	शहरी स्थानीय निकाय	वाले भवनों के मामलों में राष्ट्रीय भवन को	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास
		नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि शमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण।				
44	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक /अधियोगी का परिवर्तन / मृत्यु मामले के सिवाए	15 दिन	सचिव / ई.ओ. / सम्बद्ध नगर समिति / परिषद / ि नगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप— मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	
45	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक /अधियोगी का परिवर्तन/मृत्यु मामले में	45 दिन	सचिव / ई.ओ. / सम्बद्ध नगर समिति / परिषद / निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप— मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले
46						
47						
48.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति के कनैक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(ii) शहरी तथा एम सी शहर में सीवरेज के कनैक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
49.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) वाटर रिसाव / पाईप से ओवरफलो	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(ii) सीवरेज में रूकावट /मेन होलों में से बाहर सीवर का पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(iii) जलापूर्ति सुचारू करना जो कि छोटी गडबडी जैसे कि पम्पपिंग मशीनरी, बिजली की तार, वितरण प्रणाली में खराबी इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो।	3 दिनं	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता

	1			1		,
		(iv) जलापूर्ति में बडी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि कच्चे पानी की कमी ट्रांसफार्मर का जलना और एलटी / एच टी लाईनों में बाधा	6 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(v) जलापूर्ति में बडी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली की दूसरी मुख्य बाधाएं जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक / मुरम्मत की जानी है।	10 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
50.	विद्युत	नार्मल पयूज ऑफ कॉल शहरों तथा कस्बों में	4 ਬਂਟੇ	सम्बद्ध लाईनमैन / शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	(इंचार्ज)	एस०डी० ओ०(ओ०पी०)
		ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन / शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस०डी० ओ०(ओ०पी०)
51.	विद्युत	ओवरहैड लाईन ब्रैकडाऊन्स शहरों तथा कस्बों में	8 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस० डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
		ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस० डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
52.	विद्युत	ब्रैकेज पोल्स के कारण ओवरहैड लाईन ब्रैकडाऊन्स शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस० डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस० डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
53.	विद्युत	अन्डरग्रान्ड कैबेल्स ब्रैकडाऊन्स शहरों तथा करबों में	48 ਬਂਟੇ	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस०डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस०डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
54.	विद्युत	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉरर्मर फैलियुर शहरों तथा कस्बों में	24 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस०डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस० डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
55.	विद्युत	मैजर पॉवर फैलियुर इन्वाल्विंग पॉवर ट्रांसफॉर्मर / इक्युपमैन्ट	7 दिन	एक्स०ई०एन० / कन्सट्रकशन	एस०ई० (ओ०पी०)	सी०ई० (ओ०पी०)
		प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति फिर से चालू करने के लिए रददोबदल प्रबन्धन	24 घंटों			
56	विद्युत	भौडयूल्ड आऊटैज की अवधि	किसी दिन में आठ घंटे से	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस०डी० ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)

(क) सिंगल स्ट्रैच में अधिकतम अविधे  (ख) रेस्टोरेशन सप्लाई  किसी भी दिन सांय 6 बजे (इंचार्ज) (ओणपी०) (ओणपी०)  हर्ता नेटवर्क इनवोत्वड के बिना विस्तार / इन्हानसमेंट के साथ वोल्टेज फलकचूयेशन नगर तथा कस्बे  4 धण्टे किनिष्ठ अभियन्ता (ईन्चार्ज) (ओणपी०) (ओणपी०)  प्रामीण क्षेत्र—मीटर ट्रेसिटेंग प्रामण क्षेत्र—मीटर हेटसिटेंग पिर की प्रास्ति के बाद (ii) स्लो / फास्ट मीटर / क्रीपिंग / स्टक / डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोकता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोकता द्वारा प्रभारों (इंचार्ज) (ओणपी०) (ओणपी०) (ओणपी०)  हिपक अभियन्ता (इंचार्ज) (स्वार्ज) (स्वार्ज) (स्वार्ज) (ओणपी०)	
(ख) रेस्टोरेशन सप्लाई किसी भी दिन सांय 6 बजे (इंचार्ज) (ओ०पी०) (ओ०पी०) (ओ०पी०)  57. विद्युत नेटवर्क इनवोल्वड के बिना विस्तार / इन्हानसमेंट के साथ वोल्टेज फलकच्येशन नगर तथा कस्बे 4 धण्टे केनिष्ठ अभियन्ता (ईन्चार्ज) (ओ०पी०) (ओ०पी०)  58. विद्युत मीटर शिकायतें (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना – मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो / फास्ट मीटर / किफेक्टिय मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना वे जले मीटर को बदलना – उपभोक्ता द्वारा प्रभारों ने उपभोक्ता वे प्रभारता (इंचार्ज) (ओ०पी०)	
सांय ६ बजे (इंचार्ज) (ओणपी०) (ओणपी०)  57. विद्युत नेटवर्क इनवोल्वड के बिना विस्तार / इन्हानसमैंट के साथ वोल्टेज फलकचूयेशन नगर तथा करबे 4 धण्टे किनान्ड अभियन्ता (ईन्चार्ज) एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ओणपी०) यामीण क्षेत्र—मीटर ट्रेसिटेंग मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो एमए मीटर की बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना विद जमोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपमोक्ता द्वारा प्रमारों विव प्रमोक्ता के जमिण्ड अभियंता (इंचार्ज) (ओणपी०)	
तक	U
कियुत   नेटवर्क इनवोल्वड के बिना विस्तार / इन्हानसमैंट के साथ वोल्टेज फलकचूरोशन नगर तथा कस्बे   4 धण्टे किनाड अभियन्ता (ईन्चार्ज)   एस०डी०ओ० (ओ०पी०)   एक्स०ई०एन् (ओ०पी०)   एक	
के बिना विस्तार / इन्हानसमेंट के साथ वोल्टेज फलकचूयेशन नगर तथा करबे 4 धण्टे किया किया करिया करिया करिया करिया करिया करिया किया किया किया किया किया किया किया क	
इन्हानसमैंट के साथ बोल्टेज फलकचूयेशन नगर तथा कस्बे  4 धण्टे  किनाष्ट अभियन्ता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)  58. विद्युत  मीटर शिकायतें (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना — मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो/फास्ट मीटर/क्रीपिग/ इसके स्थापित एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)  किये जाने के 7 दिन के भीतर का बदलना विद उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों  किये जाने के किछ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)  किये जाने के 7 दिन के भीतर किनष्ट अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)  किये जाने के 7 दिन के भीतर किनष्ट अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)  किये जाने के किछ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)  किये जाने के 7 दिन के भीतर किनष्ट अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)  किये जाने के किछ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (ज्ञो०पी०)	0
साथ वोल्टेज फलकच्येशन नगर तथा कस्बे 4 धण्टे किनष्ठ अभियन्ता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (श्री०पी०)  58. विद्युत मीटर शिकायतें (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना — मीटर की टस्टिंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो/फास्ट मीटर की बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना विदे उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	
फलकचूयेशन नगर तथा कस्बे 4 धण्टे कृनिष्ठ अभियन्ता (ईन्चार्ज)  58. विद्युत  मिटर शिकायतें (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना – मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो/फास्ट मीटर/कृषिंग/ स्टक/डिफ़ीक्टव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का अभियंता (इंचार्ज)  7 दिन के भीतर कृनिष्ठ अभियंता एस०डी० एक्स०ई०एन (अंगे०पी०)  8 धण्टे  कैनिष्ठ अभियंता एस०डी० एक्स०ई०एन (अंगे०पी०)  8 क्षेत्र पर कृनिष्ठ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन कृनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)  9 कृनिष्ठ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन कृनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)  1 दिन के भीतर कृनिष्ठ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन कृनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)  1 दिन के भीतर कृनिष्ठ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (इंचार्ज)  1 दिन के भीतर कृनिष्ठ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (इंचार्ज)  1 दिन के भीतर कृनिष्ठ अभियंता एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन (इंचार्ज)  1 दिन (इंचार्ज)  1 दिन (अंगे०पी०)	
नगर तथा कस्बे   4 धण्टे   किनिष्ठ अभियन्ता   एस०डी०ओ०   एक्स०ई०एन् (ओ०पी०)   विद्युत   नगर हो हो   किनेष्ठ अभियंता   एस०डी०ओ०   एक्स०ई०एन् (ओ०पी०)   विद्युत   निरिक्षण तथा   सहीपन जांच करना   नीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो/फास्ट मीटर की किये जाने के तिक्ये जाने जाने के तिक्ये जाने के तिक्ये जाने जाने जाने जाने जाने जाने जाने जान	
किया   किया करना   किया करा करा के का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना   उपभोक्ता द्वारा प्रभारों   किया का अभियंता (इंचार्ज) (ओंग्पी०) (ओंग्पी०) (ओंग्पी०) (ओंग्पी०) (ओंग्पी०) (ओंग्पी०) (ओंग्पी०)	_
हिंदा है सिटिंग है हैं।  हिंदा है सिटिंग है हैं।  हिंदा है सिटिंग है हैं।  हिंदा है सिटंग है सिटंग है हैं।  हिंदा है सिटंग है है।  हिंदा है सिटंग है।  हिंदा है।  हिंदा है सिटंग है।  हिंदा है।  ह	U
हैसटिंग	
58. विद्युत मीटर शिकायतें (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना — मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो/फास्ट मीटर/क्रीपिंग/स्टक/डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का आवेदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों मंजले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	
(i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना — मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो / फास्ट मीटर / क्रीपिंग / इसके स्थापित किये जाने के त बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	
सहीपन जांच करना — मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो / फास्ट चैकिंग पर इसके स्थापित स्टक / डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	•
मीटर की टिस्टंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो / फास्ट चैकिंग पर इसके स्थापित (इंचार्ज) (अं)०पी०) (क्यां) (अं)०पी०)  स्टक / डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	U
की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो / फास्ट चैकिंग पर इसके स्थापित स्टक / डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	
(ii) स्लो/फास्ट मीटर/क्रीपिंग/इसके स्थापित (इंचार्ज) (प्रताडी0ओ० (प्रताडी०एन) (प्रताडी०ण)	
मीटर / क्रीपिंग / इसके स्थापित किये जाने के 7 दिन के 7 दिन के 6 शिषे का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	·n
स्टक / डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	U
का बंदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	
(iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	
बदलना यदि उपभोक्ता 7 दिन (इंचार्ज) (ओ०पी०) (ओ०पी०) को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों (इंचार्ज) (ओ०पी०) (ओ०पी०)	Λ
को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना – उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	U
(iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	
जर्ल मीटर को बदलना — उपभोक्ता द्वारा प्रभारों   (इंचार्ज) (ओ०पी०) (ओ०पी०)	Λ
– उपभोक्ता द्वारा प्रभारों	J
के भुगतान के बाद	
59. विद्युत नये कनैक्शन/ अतिरिक्त एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन० एस०ई०	
लोड / मांग देना (ओ०पी०) (ओ०पी०) (ओ०पी०)	
(a) कनैक्शन देना जहां	
सेवाएं विद्यमान नेटवर्क से 30 दिन	
व्यवहार्य है	
प्पपहाय ह	
(b) कनैक्शन देना जहां	
नेटवर्क एक्सपेंशन	
/ इनहान्समैन्ट कनैक्शन	
देने के लिए अपेक्षित है	
(सिवाय कृषि)	
(i) एल0टी0कनैक्शन के	
लिए 30 दिन एस०डी०ओ० एक्स०ई०एन० एस०ई०	
(ओ०पी०) (ओ०पी०) (ओ०पी०)	
(ii) 11 के0वी० 71 दिन एस0डी0ओ० एक्स0ई०एन० एस0ई०	·
कनैक्शन के लिए (ओ०पी०) (ओ०पी०) (ओ०पी०)	
(iii) 33 के०वी०	)
कनैक्शन के लिए भीतर (ओ०पी०) (ओ०पी०)	•
(iv) 33 के०वी० स्तर 90 दिन एक्स०ई०एन० एस०ई० सी.ई.(ओ.पी	
कनैक्शन से अधिक (ओ०पी०) (ओ०पी०)	)
(MIONIO)	)

60.	विद्युत	शीर्ष का हस्तांतरण तथा				
		सेवाओं का रूपांतरण				
			7 दिन	एस०डी०ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)	एस०ई० (ओ०पी०)
		(ख)एल०टी०ऐकल फेज से एल०टी 3 फेज में संपरिवर्तन या परस्पर—भूगतान प्रभार की तिथि से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस०डी०ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
		(ग))एल0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर— भूगतान प्रभार की तिथी से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस०डी०ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
		(घ))एच०टी० से ई०एच०टी० का संपरिवर्तन या परस्पर— भूगतान प्रभार की तिथि से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस०डी०ओ० (ओ०पी०)	एक्स०ई०एन० (ओ०पी०)
61	विद्युत	मीटर/सेवा कनेक्शन और अन्य सेवाओं को बदलना ।				
		(i) मीटर/सेवा कनेक्शन को बदलना	15 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन) कार्यकारी अभियंता	कार्यकारी अभियंता (आप्रेशन)
		(ii) 11 के०वी० तक एल०टी० / एच०टी० लाईनों को बदलना।	45 दिन	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	(आपरेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)	अधीक्षक अभियंता (आप्रेशन)
		(iii) 11 के0वी0 से अधिक एच0टी0 लाईनों को बदलना।	45 दिन	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)	अधीक्षक अभियंता (आपरेशन)
		(iv) ट्रांस्फार्मर को बदलना।	60 दिन के भीतर ।	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)		अधीक्षक अभियंता (आपरेशन)
62.	विद्युत	उपभोक्ता बिल के बारे शिकायत और आपूर्ति को पुनः स्थापित करना ।		वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
		यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है।	24 ਬਂਟੇ	वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
		<b>यदि</b> कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है ।	7 दिन	वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
63.	विद्युत	बिलों के भुगतान न करने के कारण काटी गई आपूर्ति को पुनः जोड़ना।				

		शहरों और नगरों — उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।	6 धंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
		ग्रामीण क्षेत्र — उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।	12 धंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
64	परिवहन	(i) नौ सिखिया चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना	5 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0 ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(ii) स्थाई चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना ।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/ आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iii) चालन लाइसेंस का नवीकरण।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त सम्बद्ध जिले का	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iv) डुप्लीकेट चालन लाइसेंस जारी करना	7 दिन	आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 /	अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(v) चालान लाइसेंस में नई श्रेणी का पृश्ठाकंन	7 दिन	आर०२०७/ आर०टी०ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर०ए०/ आर०टी०ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
65	परिवहन	कन्डक्टर लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर०ए० / आर०टी०ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
66	परिवहन	(i) नये वाहनो का पंजीकरण।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर०ए० / आर0टी०ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

	I		&-	1		
		(ii) स्वामित्व का अंतरण।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iii) अनापति प्रमाण पत्र जारी करना।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर०ए० / आर०टी०ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iv) डुप्लीकेट आर0 सी0 जारी करना।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर०ए० / आर०टी०ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(v) कर समाशोधन प्रमाण पत्र ।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(vi) एच0पी0ए0 परिवर्धन / विलोपन	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर०ए० / आर०टी०ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
67	आवासन बोर्ड	अनापित्त प्रमाण पत्र / डुपलीकेट आवटन / पुनः आवटन पत्र जारी करना ।	21 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
68	आवासन बोर्ड	(i) हस्तांतरण पत्र जारी करना। (ii) साधारण मुख्तारनामा के माध्यम से हस्तांतरण पत्र जारी करना।	15 दिन 45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
69.	आवासन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना ।	30 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
70.	आवासन बोर्ड	विक्रय के मामलें में सम्पति का अंतरण	15 दिन	सम्बद्घ जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
71	आवासन बोर्ड	मृत्यु के मामलें में सम्पति का अंतरण (अविवादित)	45 दिन	सम्बद्घ जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा

72.	आवासन बोर्ड	गिरवी के लिए अनुमति	7 दिन	सम्बद्घ जिले का	आवासन बोर्ड	सचिव आवासन
		जारी करना		सम्पदा प्रबन्धक	हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	बोर्ड, हरियाणा
73.	आवासन बोर्ड	किसी दस्तावेज की	7 दिन	सम्बद्घ जिले का	आवासन बोर्ड	सचिव आवासन
		सत्यापित प्रति		7	हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	बोर्ड, हरियाणा
74.	आवासन बोर्ड	स्वामित्व का परिवर्तन	45 दिन	Ψ,	आवासन बोर्ड	सचिव आवासन
		(मृत्यु मामलो से अन्यथा)		7	हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	बोर्ड, हरियाणा
75.	आवासन बोर्ड	प्लाट का सीमांकन	21 दिन		कार्यकारी अभियंता	मुख्य अभियंता
76.						
77.						
78	कृषि	बीज विक्रेता का लाईसेंस			संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
79	कृषि	कीटनाशक विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन		संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
80	कृषि	पावती रसीद / उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र	24 दिन	-	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
81	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस का नवीनकरण	24 दिन		संयुक्त निदेशक प्रशासन)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
82	कृषि	पावती रसीद / उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र का नवीनकरण	24 दिन	न कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निर्देशक
83	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	<u> </u>	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
84	कृषि	कीटनाशक विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	E .	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
85	कृषि	पावती रसीद / उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र की नकल	24 दिन	E .	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
86	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	अनापन्ति प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट आंबटन जारी करना।	30 दिन	त सम्बद्घ सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड0एम0ई0ओ0
87	~ ~	हस्तांतरण पत्र जारी करना	30 दिन	त सम्बद्घ सचिव एंव र कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड0एम0ई0ओ0
88	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	त सम्बद्घ सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड0एम0ई0ओ0
89		विक्रय के मामलें में सम्पति का पुनः अतंरण	30 दिन	त सम्बद्घ सचिव एंव र कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड०एम०ई०ओ०
90.	कृषि विपणन बोर्ड	विक्रय के मामलें में सम्पति का पुनः अतंरण (अविवादित मृत्यु)	60 दिन	कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड0एम0ई0ओ0
91.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	किसानो को जे0 फार्म जारी करना	1 दिन	मण्डी पर्यवेक्षक या र सहायक सचिव	डी०एम०ई०ओ०	डी०एम०ई०ओ०

92.		कृषि कार्यों के दौरान किसी चोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता (अनुगृहपूर्वक) प्रदान करना मृत्यु केसों में विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद चोट के केसों में	30 दिन, 60 दिन	सम्बद्घ सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जै०एम०ई०ओ०
93		गिरवी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्घ सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जै०एम०ई०ओ०
94.	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट,2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन—ा की पावती जारी करना	3 दिन	संयक्त निदेशक / उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
95	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट,2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन—ाा की पावती जारी करना	3 दिन	संयक्त निदेशक / उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
96.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण	10 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
97.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण का नवीकरण	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
98	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर के परिवर्तन, हेरफेर, मरम्मत के लिए अनुमोदन	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
99	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
100	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	उद्योग तथा वाणिज्य
101	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	उद्योग तथा वाणिज्य
102	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य

400		<del></del>	00 <del>D -</del>		<del>                                     </del>	
103	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के अधीन संसाधन के	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
		लिए नवीकरण				
104	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	उद्योग तथा वाणिज्य
105	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म का पंजीकरण	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
106	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
107	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
108	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज एक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों का पंजीकरण	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
109	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों के नाम का अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
110	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रिजस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन शासकीय निकाय का अनुमोदन	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
111	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटी के नाम/पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन		जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
112	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन के अनुमोदन	60 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी

440			4.5	<del></del>			ттатет	निदेशक
113		भवन योजना / पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति	15	।दन	सम्बद्घ उपनगर योजनाकार /	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध	। नदशक
		(ओद्यौगिक / आवासीय)			वरिष्ठ नगर			
	विकास निगम	(आधार्गक / आपासाय)			योजनाकार योजनाकार			
	विकास । नगन लिमिटेड				याजनाकार			
111		भवन योजना / पुनरीक्षित	20	<del>ਰਿਤ</del>	सम्बद्घ उपनगर	मुख्य योजनाकार	गतदा	निदेशक
114			30	।५ग		नुख्य याजनाकार	ячч	। नदशक
		भवन योजना की स्वीकृति			योजनाकार /			
	बुनियादी ढांचा विकास निगम	(वााणाज्यक)			वरिष्ठ नगर योजनाकार			
	विकास ।नगम लिमिटेड				याजनाकार			
				दिन				<u> </u>
115		भवनो के लिय	15	।दन	सम्बद्घ उपनगर	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध	निदेशक
		समापन / अधिभोग प्रमाण			योजनाकार /			
	बिकास निगम	पत्र जारी करना			वरिष्ठ नगर			
					योजनाकार			
	लिमिटेड					<u> </u>		<u> </u>
116		अनापत्ति प्रमाण	20	दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध	निदेशक
		पत्र / डुपलीकेट						
	बुानयादा ढाचा	आबंटन / पुनः आबंटन पत्र जारी करना						
		पित्र जारा करना						
	लिमिटेड			<del>-</del>			 	<del></del>
117		हस्तांतरण विलेख	15	दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध	।नदशक
	ओद्यौगिक							
	बुनियादी ढांचा							
	विकास निगम							
	लिमिटेड			_				0 /
118		बेबाकी प्रमाण पत्र	15	दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध	निदेशक
	ओद्यौगिक							
	बुनियादी ढांचा							
	विकास निगम							
	लिमिटेड							~ \
119		विक्रय आदि के मामलो में	30	दन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध	निदशक
		प्लाटों का अतंरण						
	बुनियादी ढांचा							
	विकास निगम							
120	लिमिटेड	प्लाटों का स्थानान्तरण	15	दिन	ज्ञाना परस्य	विभागाद्यक (सम्बद्ध)	HZ °7	चित्रेण <u>क</u>
120	हारयाणा राज्य ओद्यौगिक	(अनकान्टेसिटेड)	45	।५ग	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	X44	ागपराक
	आधारिक बुनियादी ढांचा							
	विकास निगम							
	लिमिटेड							
121		गिरवी जारी करने के	30	दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध	निदेशक
'	ओद्यौगिक	लिए अनुमति					' '	
	बुनियादी ढांचा							
	विकास निगम							
	लिमिटेड							
122	हरियाणा राज्य	किसी दस्तावेज की	3 f	देन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध	निदेशक
	ओद्यौगिक	सत्यापित प्रति				, ,		
	बुनियादी ढांचा							
	विकास निगम							
	लिमिटेड							
123	हरियाणा राज्य	स्वामित्च परिवर्तन	30	दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध	निदेशक
	ओद्यौगिक	(मृत्यु मामलों से अन्यथा )				, ,		
	बुनियादी ढांचा	,						
	19 11	1	l		İ	l .		

	विकास निगम लिमिटेड					
124	हरियाणा राज्य ओद्यौगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्लाटों का सीमांकन	5 दिन	एस०टी०पी०	सी०टी०पी०	प्रबन्ध निदेशक
125	हरियाणा राज्य	कुरसी सार तक प्रमाण पत्र जारी करना	7 दिन	डीं० टीं० पीं० / एसं० टी ०पी	सी0टी0पी0	प्रबन्ध निदेशक
126		जल एवं सीवरेज कनैक्शन	15 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
127	हरियाणा राज्य		60 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	राज्य ओद्यौगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक
128	खाद्य तथा आपूर्ति	(i) डी-1 फार्म प्राप्त होने पर राशन कार्ड जारी करना जैसे कि सभी वर्ग के लिए प्रार्थना फार्म (ii) परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन		निरीक्षक प्रभारी / ए०एफ०एस०पी०ओ० निरीक्षक प्रभारी / ए०एफ०एस०पी०ओ०	आपूर्ति नियन्त्रक जिला खाद्य एवं	उपायुक्त उपायुक्त
		कार्ड जारी करना। (iii) दूसरा राशन कार्ड जारी करना	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए०एफ०एस०ओ०	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
		(iv) परिवार के सदस्य का समावेस / विलोप (v) उसी क्षेत्राधिकार में	15 दिन 15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए०एफ०एस०ओ० निरीक्षक प्रभारी /		उपायुक्त उपायुक्त
		पता बदलना।		ए०एफ०एस०ओ०	आपूर्ति नियन्त्रक	
		(vi) पता बदलने के अंतर्गत एफ0पी0एस0 बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड )	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए०एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
		(vii) परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना/ राशन कार्ड/सदस्य पलायन/राशन कार्ड स्थानान्तरण/राशन कार्ड परित्याग प्रार्थना पत्र ।	7 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए०एफ०एस०ओ०	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
		(viii) राशन कार्ड डाटा सुधार एवं घर के मुख्या संशोधन।	7 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए०एफ०एस०ओ०	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त

129	हरियाणा	भवन का नक्शा / भवन	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल	प्रशासक हुडडा
	शहरी विकास	के संशोधित नक्शों की			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय -
	प्राधिकरण	स्वीकृति			3	3
130	हरियाणा	भवन के लिए सम्पूर्ण	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल	प्रशासक हुडडा
	शहरी विकास	अधिपत्य प्रमाण पत्र जारी			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण	करना				
131	हरियाणा	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल	प्रशासक हुडडा
	शहरी विकास	करना (तबादला			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण	अनुमति / दूसरा आबंटन				
		पत्र / पुनः आबंटन पत्र)				
132	हरियाणा	हस्तांतरण विलेख जारी	20 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल	प्रशासक हुडडा
	शहरी विकास	करना			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण					
133	हरियाणा	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी	10 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल	प्रशासक हुडडा
	शहरी विकास	करना			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण	C / /;		0 0		
134	हरियाणा	विक्रय के मामले में	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल	प्रशासक हुडडा,
		सम्पति का अंतरण			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
405	प्राधिकरण हरियाणा	मृत्यु (अविवादित) के	45 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल	папата этт
135		मृत्यु (आववादित) क मामले में सम्पति का	45 ।दन	सम्पदा आधकारा		प्रशासक हुडडा,
	प्राधिकरण	अंतरण			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
136		गिरवी के लिए अनुमति	7 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल	प्रशासक हुडडा,
130	शहरी विकास		7 14.1	राष्य्र जावकारा	प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण	OII (I 4/C II			ACIICIAN GOOI	નુ હવાલાવ
137		किसी दस्तावेज की	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल	प्रशासक हुडडा,
101	शहरी विकास				प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण				J	3
138	हरियाणा	स्वामित्व का परिवर्तन	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल	प्रशासक हुडडा,
	शहरी विकास	(मृत्यु के मामले से			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण	अन्यथा)				
139	हरियाणा	प्लाटों का सीमांकन	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल	प्रशासक हुडडा,
	शहरी विकास				प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण		_			
140	हरियाणा	कुरसी (डी पी सी) प्रमाण	5 दिन	सम्पदा अधिकारी		प्रशासक हुडडा,
		पत्र जारी करना			प्रशासक हुडडा	मुख्यालय
	प्राधिकरण	~~~~~~	0			
141	हरियाणा	जल आपुर्ति तथा मल	10 दिन	संबंधित कार्यकारी		अधीक्षक
	शहरी विकास	जल कनक्शन		अभियन्ता / एस डी	आमयन्ता	अभियन्ता
440	प्राधिकरण हरियाणा		10 दिन	ई हुड्डा संबंधित कार्यकारी	गांग्रीका अल्पेक्टर	मुख्यालय अधीक्षक
142		जल आपुर्ति तथा मल जल कनैक्शन की	ाण ।दन	अभियन्ता / एस डी		अधाक्षक अभियन्ता
		जल कनक्शन का स्वीकृति (औद्योगिक)		जामयन्ता / एस डा ई हुड्डा	जामपःसा	आमयन्ता मुख्यालय
143		गिरवी प्रथम प्रवाह	15 दिन	र हुड्डा सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल	प्रशासक हुडडा,
143	शहरी विकास		10 14.1	रा त्रपा जापपगरा	प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुङ्डा, मुख्यालय
	प्राधिकरण	(on an 147)			ACIICIAN GOOI	નુ હવાલાવ
144		नियंत्रित क्षेत्र तथा	60 दिन	महानिदेशक नगर	अपर सचिव नगर	
		समरूप जोन (सरकार की		तथा ग्राम	तथा ग्राम आयोजना	
	प्राधिकरण	सक्षता के सिवाए) के		आयोजना		
		अंतिम प्रकाशित विकास				
		योजना के भीतर राज्य के				

		A				
		स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग अनुज्ञा का परिवर्तन				
145		नियंत्रित क्षेत्र से बाहर इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र किन्तु नगरीय क्षेत्र के भीतर	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
146		नियंत्रित क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र	10 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
147	नगर तथा ग्राम आयोजना	(i) पंजाब अनुसूचित सङ्क और अनियमित विकास अधिनियम,1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत ईंट भट्ठों, व लकड़ी का कोयला भट्ठों, के लिए लाईसेंस	30 दिन	जिला नगर योजनाकार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
		(ii) पंजाब अनुसूचित सङ्क के प्रावधानों और अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत स्टोन क्रेशर, के लिए लाईसेंस	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
148		निम्न साइट / प्लाट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:— (1) लाइसेंस आवासीय प्लाट कालोनियां (2) औद्योगिक प्लाट कालोनियां (3)सी एल यू गारटड साइट जिनका क्षेत्रफल 2. 0 एकड़ (8093.70 वर्ग मी0) तक है	45 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
149		निम्न साइट / प्लाट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:— (1) लाईसेंस प्राप्त कलोनी में समुदाय साईटें जिनका क्षेत्र 5.0 एकड (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। (2) सी एल यू प्राप्त साइटें जिनका क्षेत्रफल 2 एकड (8093.70 वर्ग मीटर) से 5.0 एकड (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। (3) आवासीय प्लोटड एवं औद्योगिक प्लोटड कलोनियों में वाणिज्यिक घटक जिनका क्षेत्रफल 2		वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना

		एकड है। (4) सभी सी एल यू प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं				
150.		(क) क्रम संरूया 148 और 149 के इलावा अन्य साइट की योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइट जिनका क्षेत्र 5.00 एकड् (20234. 25 वर्ग मीटर)से अधिक है के निर्माण की स्वीकृति	90 दिन 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना
151		क्रम संख्या 148 पर वर्णित भवन जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	45 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
152		क्रम संख्या 149 पर वर्णित भवनों के लिए प्लाट क्षेत्र जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
153		(क) क्रम संख्या 150 एव 151 पर वर्णित मामलों को छोडकर जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना। (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइटें जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़ (20234. 25 वर्ग मीटर) से अधिक है का कब्जा प्रमाण पत्र।	90 दिन 60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना	
154		हिन्दु विवाह अधिनियम के अधीन विवाह का पंजीकरण—उपबन्धित 15 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति बाद	3 दिन	तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र में) सचिव नगर समिति (शहरी क्षेत्र) उप / संयुक्त नगरायुक्त (नगर निगम)	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट उप मण्डल मैजिस्ट्रेट नगरायुक्त	
155	गृह	क) शस्त्र लाईसेंस का नवीकरण (यदि लाईसेंस समाप्ति की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया गया है तथा लाईसेंस जारी करने वाला जिला वही जहां सेवा मागी गई है)	15 दिन	उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुड़गांव	जिला मैजीस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	_

	1	1	ı		1	1
				(पंचकूला)	पुलिस आयुक्त	_
				उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र)	जिला मैजीस्ट्रेट	_
				पुलिस उपायुक्त (अम्बाला भाहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	
		ख) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण छह वर्ष की प्रत्येक साईकिल के बाद प्रस्तुत किया गया हो जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक हैं	22 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए)	मंडलायुक्त	_
				संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
				पुलिस उपायुक्त (पंचकूला)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
				उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र)	जिला मैजिस्ट्रेट	मंडलायुक्त
				पुलिस उपायुक्त (अम्बाला भाहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
156	गृह	हथियार का जमा करना / काटना (यदि अनुज्ञप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेंवाएं मांगी गई हैं)— आव यक नोटिस के समाप्त होने के	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त	–
		45 दिन		पुलिस (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
				(पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
				पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
157	गृह	हथियार खरीदने के समय का विस्तार, (यदि अनुज्ञप्ति जारी करने का जिला वही	7 दिन	जिला मैजीस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव	मंडला <i>युक्त</i>	_

		है जहां सेवाएं मांगी गई है और समय की अनुमति के दौरान)		तथा अम्बाला जिलों के सिवाए)		
		,		संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
				पुलिस उपायुक्त (पंचकूला)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
				पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक <u>्</u> त
				पुलिस उपायुक्त (अम्बाला भाहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
158	गृह	विदेशियों का पंजीकरण (आगमन तथा प्रस्थान)	तत्काल	सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अम्बाला तथा पंचकूला जिले	पुलिस आयुक्त, अम्बाला तथा पंचकूला जिले	पुलिस आयुक्त
				सहायक पुलिस आयुक्त / मुख्यालय गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफ.आर. ओ)	उप पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद	पुलिस आयुक्त
				उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए	पुलिस अधीक्षक	आई. जी. रेंज
159	गृह	विदेशियों के आवासीय प्रमिट का विस्तार	5 दिन	सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय अम्बाला / शहरी क्षेत्र पंचकूला / अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र	पुलिस आयुक्त	पुलिस आयुक्त
				सहायक संयुक्त पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद (मुख्यालय) विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफ. आर.ओ)	उप पुलिस आयुक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज
				ं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय,		

	1	1	I	I	T	<del>,                                    </del>
				अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए		
160	गृह	एफ.आई. आर अथवा डी. डी.आर की प्रति	आनलाईन		उप पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस आयुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
161.	गृह	लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए अनापित प्रमाण पत्र (अनुमित प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित थाना गृह अधिकारी से अनापित प्रमाण पत्र अथवा मंडल मैजिस्ट्रेट की दशा में	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए)	जिला मैजिस्ट्रेट/	मण्डलायुक्त
		केवल लागू)		उप सहायक पुलिस आयुक्त अम्बाला तथा पंचकूला जिला मुख्यालय	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त
				सहायक / पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय / पुलिस आयुक्त फरीदाबाद तथा गुड़गांव विदेशी पंजीकृत अधिकारी (एफ आर ओ)	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त
162	गृह	फेयर/मेला/ प्रदर्शनी/खेल आयोजन इत्यादि के लिए अनापति प्रमाण पत्र	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए)	उपायुक्त	मण्डलायुक्त
				सहायक / उपायुक्त / मुख्यालय / अम्बाला तथा पंचकूला जिला	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त
				संयुक्त / सहायक पुलिस उप आयुक्त फरीदाबाद तथा गुड़गांव (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त
163	गृह	अपरिचित सत्यापन (अन्य जिले / राज्य सत्यापन प्राप्त करने के बाद जिसका निवास अपरिचित है)		सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
164	गृह	किरायेदार / नौकर का सत्यापन (यदि आवासीय या स्थानीय क्षेत्र)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त

165	गृह	किरायेदार / नौकर का सत्यापन (यदि अन्य जिला / राज्य के आवासीय तथा अन्य जिले / राज्य से सत्यापन की प्राप्ति के बाद	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
165	गृह	सेवाओं से सम्बन्धित अन्य सत्यापन		सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
167	गृह	सड़क दुर्घटना मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति		सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
168	गृह	चोरी हुए मामलों में वाहनों के मामलों में अनट्रेसड	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
169.	गृह	चोरी के मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	60 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
170.	गृह	पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अनापित्ति प्रमाण पत्र		सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
171.	गृह	सेवा सत्यापन (हरियाणा निवासी के मामलें में)	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
172	गृह	चरित्र सत्यापन	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
173	गृह	हथियार लाईसैंस के नवीकरण के लिए सत्यापन	22 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) डी.सी.पी. (पंचकुला तथा अम्बाला जिले)	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
				उपमण्डल मैजिस्ट्रेट / न्यायधीश (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों को छोड़कर)	जिला मैजिस्ट्रेट	मण्डलायुक्त
174	गृह	हथियार व्यवहारियों के लाईसैंस को जारी करने/नवीकरण के लिए अनापत्ति	15 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले)	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त

	1	1			Infra anni	
					पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त
				उपायुक्त (अम्बाला		
				तथा पंचकुला)		
				जिला मैजिस्ट्रेट	मण्डलायुक्त	
				(पंचकुला, अम्बाला,		
				फरीदाबाद तथा		
				गुडगांव को		
				छोडकर)		
175	गृह		15 दिन		मण्डलायुक्त	
		इत्यादि स्थापित करने के		पंचकुला, अम्बाला,		
		लिए अनापितत प्रमाणपत्र		फरीदाबाद तथा		
				गुडगांव को		
				छोडकर)		
				पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त	_
				(फरीदाबाद,	1 0(1134(1	
				पंचकुला, गुडगांव		
				तथा अंबाला जिलें)		
					<u></u>	
176	गृह	पासपोर्ट सत्यापन	21 दिन	संबंन्धित पुलिस	उप पुलिस	पुलिस
				थाने का थाना गृह	अधीक्षक / उप पुलिस	अधीक्षक /
				अधिकारी	आयुक्त / संयुक्त	पुलिस आयुक्त
					पुलिस आयुक्त	31(1(1 -11 3 1(1
			4		<u> </u>	
177	गृह	•	30 दिन	उपायुक्त	मण्डलायुक्त	_
		लिए सत्यापन		(पंचकूला,		
				फरीदाबाद,		
				गुड़गांव तथा		
				अम्बाला जिलों के		
				सिवाए)		
				सिपाए)		
				संयुक्त पुलिस	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त
				आयुक्त (गुड़गांव		
				तथा फरीदाबाद		
				जिले)		
				Tolkij		
						·
				उप पुलिस आयुक्त	पुरलस आयुक्त	मंडलायुक्त
				(पंचकूला)		
				उप पुलिस आयुक्त	पलिस आयक्त	मंडलायुक्त
				(अम्बाला ग्रामीण	3 3	3
				क्षेत्र)		
				নাস)		
						1.
				उप पुलिस आयुक्त	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
				(अम्बाला शहरी		
				क्षेत्र)		
178	सामजिक	लाडली सामजिक सुरक्षा	120 दिन	सबन्ध जिले का	सबन्ध जिले का	सबन्ध जिले का
170	न्याय और	भत्ता योजना	120 14.1			
		नत्ता याजना		जिला समाज	अतिरिक्त उपायुक्त	उपायुक्त
	अधिकारिता			कल्याण अधिकारी		
	विभाग					
470		बुढापा सम्मान भत्ता	120 दिन	सबन्ध जिले का	सबन्ध जिले का	सबन्ध जिले का
179	सामजिक	1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				i -
179				जिला समाज	अतिरिक्त त्रपायक्त	<b>उपाय</b> क्त
179	न्याय और	(पेंशन स्कीम)		जिला समाज	अतिरिक्त उपायुक्त	उपायुक्त
179				जिला समाज कल्याण अधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त	उपायुक्त

		\(\sigma\).				0 \
180	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग पेंशन	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
181		हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन)	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
182	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बेसहारा बच्चों के लिए वितीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
183	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वितीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
184	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते के लिए वितीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
185	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बौना भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
186	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	हिजड़ा भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
187		एच एस सी एस टी के लिए आवेदन फार्म पी एच डी करने के लिए फैलोशिप फार्म	4 मास	मुख्य विज्ञानिक इंजीनियर एच एस सी एस टी	सचिव / ई० सी० एच एस सी एस टी	अध्यक्ष / ई सी एच एस सी एस टी
188	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान शिक्षा को बढावा देने के लिए आवेदन फार्म (POSE) बी.एस.सी और एम.एस.सी के छात्रों के लिए छात्रवृति – समापन के बाद		विज्ञानिक इंजीनियर(ए) एस जी	प्रधान विज्ञानिक(एस जी)	निदेशक
189	श्रम विभाग	(1)1970 ठेका श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना और लाईसेंस पंजीकरण	26 दिन	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		(2)कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		(3)कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना लाईसेंस	45दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		(4) दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकार का पंजीकरण	15दिन	श्रम निरिक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त

	T _			_	Τ .	т .
190.	वन विभाग	पेड़ों की कटाई की अनुमति	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
191.	वन विभाग	पी एल पी ए अथवा वन अथवा वन क्षेत्र से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
192.		हारनेट— पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।		उप-निदेशक उद्यान (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) उ.नि.उ.(एन. एच.एम.)		मिशन निदेशक
193		मिंट-पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	16 दिन	उप— निदेशक उद्यान (सूक्ष्म सिंचाई) उ.नि.उ (एम.आई)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
194.	बागवानी विभाग	फूट लाईंसेंस— फलदार पौधों की नर्सरी हेतू लाईंसेंस जारी करना।	90 दिन	उप–निदेशक उद्यान (प्रोजेक्ट व नर्सरी ) उ.नि.उ (पी.एन. )	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
195	बागवानी विभाग	पॉलीनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (फल ) उ.नि.उ (फ)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
196.	बागवानी विभाग	सीड लाईसेंस- सब्जी बीज की बिक्री हेतू लाईसेंस जारी करना।		उप–निदेशक उद्यान (सब्जी) उ.नि.उ (स)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
197.	मत्स्य विभाग	मत्स्य किसान विकास एजेन्सी के अंतर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाऐ:— (i) मछली तालाब हेतू भूमि का चुनाव (ii) योजना और तालाब का अनुमान (iii) ऋण हेतू बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। (iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजैन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।
198		जलमग्न भूमि क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएं (i) मछली तालाब हेतू भूमि का चुनाव (ii) योजना और तालाब का अनुमान (iii) ऋण हेतू बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। (iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजैन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।

199	मत्स्य पालकों को रा				निदेशक मत्स्य
	मत्स्य बीज फार्मी से	मत्स्य फरवरी / मार्च	/ अधिकारी एवं मुख्य	निदेशक मत्स्य	पालन विभाग,
	बीज सप्लाई की सेव	गऐं जुलाई / अगर	त कार्यकारी अधिकारी,		हरियाणा ।
	–मत्स्य बीज संचय	करना। / सितम्बर	मत्स्य किसान		
			विकार एजैन्सी तथा		
			सभी मत्स्य फार्म		
			प्रबन्धक		

डी० एस० ढेसी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

## HARYANA GOVERNMENT

### ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

#### **Notification**

The 15th February, 2016

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR dated the 7th May, 2015, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Commission hereby notifies the following Services, the time limit within which these are to be provided to citizens, and the Designated Officer, First Grievances Redressal Authority and Second Redressal Authority under the Act as per the schedule given below:-

#### Schedule

Sr. No.	Name of the Department	Name of Service	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1 1.	Revenue	(i) Certified copies of all documents at Fard Centre level i.e. Record of Rights (Jamabandi),Girdawri, Mutation,etc.	4 1 day	5 Duty Patwari 1	Tehsildar of concerned Tehsil	7 SDM of the Concerned Sub Division.
		(ii) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is less than 5)	2 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division
		(iii) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is more than 5 but less than 15)	3 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division.
		(iv) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is more than 15)	7 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division

2	In.	D .: CI 1:C	145 1	C: 1 B	GDM Cd	lp .
2.	Revenue	Demarcation of Land if no standing crop.	45 days	Circle Revenue Officer	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the concerned District.
3.	Revenue	Registration of all kinds of documents i.e. sale deed. Lease deed, GPA, Partnership Deed etc.	1 day	Sub-Registrar or Joint Sub Registrar (in case of Sub Tehsils)	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
4.	Revenue	Certified Copies of all kinds of previously registered documents	7 days	Sub-Registrar or Joint Sub Registrar (in case of Sub Tehsils)	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
5.	Revenue	Attestation of uncontested mutations	30 days	Circle Revenue Officer	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
6.	Revenue	Private Partition of Land (Mutual Consent of landowners)	60 days	Circle Revenue Officer	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
7.	Revenue	Issue of Income Certificate	15 days	Tehsildar of the concerned Sub- Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
8.	Revenue	Area/Succession/ Dependent Certificate/ Counter Signature etc.	15 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
9.	Revenue	Mortgage 1st Charge	15 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
10.	Revenue	Registration of Lease Deed/Conveyance Deed	1 day	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
11.	Revenue	Conversion from lease to Free Hold	30 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
12.	Revenue	Scheduled Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
13.	Revenue	Backward Class Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub- Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
14.	Revenue	Other Backward Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub- Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
15.	Revenue	Special Backward Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub- Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District

16.	Revenue	Tapriwas Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-	SDM of the concerned Sub-	Deputy Commissioner of
				Division	Division	the Concerned District
17.	Revenue	Vimukt Jati Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub- Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
18.	Revenue	Economically Backward General Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
19.	Revenue	Resident Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub- Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
20.	Revenue	Rural Area Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub- Division	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
21.	Food and Drugs Administration	Grant/renewal drugs Manufacturing License	45 days	State Drugs Controller	Commissioner Food and Drugs Administration	Addl. Chief Secretary, Health
22.	Food and Drugs Administration	Issue of License for Manufacturing Bulk Drugs/ formulations	15 days	State Drug Controller	Commissioner Food and Drugs Administration	Addl. Chief Secretary, Health
23.	Health	Certified Copies of Birth/Death Certificate – Rural Areas(already registered) For current year For previous year	14 days 30 days	Registrar (Birth & Death) of concerned PHC and CHC/ Deputy Civil Surgeon (Birth & Death of the Concerned District).	Births & Deaths- cum-Civil Surgeon of the concerned	Deputy Commissioner of the Concerned District
24.	Health/Urban Local Bodies	Registration of Death & Birth Certificate (After one year of event) after submission of complete application.	60 days (20 days each for Registrar, District Registrar, and Sub-Division Magistrate (SDM).	Concerned Registrar/District Registrar	Sub-Divisional Magistrate/ Additional Deputy Commissioner (General)	Deputy Commissioner of the concerned District
25.		Birth and Death Certificate (Name Entry & certified copies of New Birth Certificate)	30 days	Concerned Local/ Addl. District Registrar-cum Deputy Civil Surgeon as applicable	District Registrar (Birth & Deaths)- cum-Civil Surgeon of the concerned District.	Deputy Commissioner of the concerned District
26.	Health	Correction of entry in Birth and Death Certificate after submission of complete application	30 Days	Concerned Local/ District Registrar as applicable	District Registrar (Birth & Deaths of the concerned District.	Deputy Commissioner of the concerned District
27.	Urban Local Bodies	(i) Certified Copies of already registered Birth/Death Certificates – Corporation Cities For current year For previous years	14 days 30 days	Local Registrar (Birth & Death) of the Concerned Municipal Corporation	Executive Officer of the Concerned Municipal Corporation	Deputy Commissioner of the Concerned District
		(ii) Certified Copies of already registered Birth/Death Certificates – MC Town For current year	7 days	Local Registrar (Birth & Death) of the Concerned Municipal Committees	SDM of the concerned Sub- Division	Deputy Commissioner of the Concerned District

28.	Urban Local	Water Supply & Sewerage	7 days	Assistant	Executive	Cumaminta :: 1:
28.	Bodies		/ days			Superintending Engineer/Chief
	Boules	Connection (Applicable in Municipal Corporation,		Engineer in Concerned	Engineer in concerned	Engineer/Ciller Engineer in
						concerned
		Gurgaon & Faridabad only)		Municipal	Municipal	
				Corporation	Corporation	Municipal
20	T7 1 T 1	T C 1 1:	15.1	7 10 4	Б .:	Corporation
29.	Urban Local	Issue of conveyance deed in	15 days	Zonal Taxation	Executive	Joint
	Bodies	Municipal Corporation,		Officer in	Officer/Deputy	Commissioner in
		Municipal Councils and		Municipal	Municipal	case of
		Municipal Committees		Corporation Executive Officer	Commissioner in	Corporation,
					Municipal	Deputy
				in concerned	Corporation, Sub Divisional	Commissioner of
				Municipal		Concerned District of case of
				Council and Secretary in	Magistrate of concerned Sub	Councils and
				concerned	Division in case	Councils and
				Municipal	of Councils and	Commutees
				Committees	Committees	
30.	Urban Local	Issue of new trade license by	15 days	Zonal Taxation	Executive	Joint
30.	Bodies	Municipal Corporation	15 days	Officer in	Officer/Deputy	Commissioner in
	Boules	Wumeipar Corporation		Municipal	Municipal	case of
				Corporation	Commissioner in	Corporation.
				Corporation	Municipal	Corporation.
					Corporation.	
31.	Urban Local	Renewal of trade license by	12 days	Zonal Taxation	Executive	Joint
31.	Bodies	municipal corporations	12 days	Officer in	Officer/Deputy	Commissioner in
	Boules	mumerpar corporations		Municipal	Municipal	case of
				Corporation	Commissioner in	Corporation
				Corporation	Municipal	Corporation
					Corporation	
32.	Urban Local	Removal of solid waste from	2 days	Chief Sanitary	Executive	Joint
	Bodies	streets/Roads	_ = ===================================	Inspector in	Officer/Deputy	Commissioner in
				Municipal	Municipal	case Corporation
				Corporation Chief		city, Sub Division
				Sanitary Inspector		Officer of
				in concerned	Corporation	Concerned Sub
				Municipal Council		Division in case of
				and Sanitary	Officer in case	Municipal Towns
				Inspector in	Municipal	
				concerned	Council and	
				Municipal	Secretary in case	
				Committee	of Municipal	
					committee	
33.	Urban Local	Replacement of street lights	10 days	Assistant	Executive	Superintending
	Bodies			Engineer in	Engineer in case	Engineer/ Chief
				Corporation	of Corporation	Engineer in case
				Cities, Junior	Cities, Municipal	of Corporation
				Engineer	Engineer in	City, Sub Division
				concerned	concerned	Officer of
				Municipal	Municipal	concerned sub
				Council and	Councils and	division in
				Committees	Committees	concerned
						Municipal
						Councils and
24	Linkon I1	Water leaks ass /	2 days	Assistant	Evacutive-	Committee
34.	Urban Local	Water leakages/ sewerage	2 days	Assistant	Executive	Superintending
	Bodies	blocked/over flow (In case of		Engineer in	Engineer in case	Engineer/ Chief
		Municipal Corporation,		Corporation	of Municipal	Engineer in case
		Gurgaon and Faridabad		Cities in	Corporation	of Municipal
				Municipal Corporation	Faridabad and	Corporation Faridabad and
				Corporation Faridabad or	Gurgaon	
				Gurgaon		Gurgaon
				concerned		
	1		I	CONCERNEU	l	1

35.	Urban Local Bodies	(i) Sanction of building plans in the original municipal limits for all uses and sizes except commercial/institutional uses for the sites 1000 sq.mtrs and above.	60 days	Chief Town Planner/ Urban Local Bodies.	Sub Divisional Magistrate of concerned Sub Division in case of Municipal Councils/ Committee and Commissioner, Municipal Corporation concerned in case of Municipal Corporation	The Deputy Commissioner of concerned District in case of Municipal Council/ Committee and Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies in case of Municipal Corporation
		(ii) Sanction of building plans in the original municipal limits for commercial/institutional uses for the sites 1000 sq. mtrs. to 5000 sq. mtrs.	60 days	Chief Town Planner/ Urban Local Bodies	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Govt. Haryana
		(iii) Sanction of building plans in the original municipal limits for commercial/institutional uses for the sites 5000 sq. mtrs. and above.	60 days	Chief Town Planner/ Urban Local Bodies	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Govt. Haryana
		(iv) Approval of building plans (up to 5 acres) of permission for change of land use cases in MC Gurgaon and Faridabad.	60 days	Chief Town Planner, Municipal Corporation Gurgaon/ Faridabad	Commissioner Municipal Corporation Gurgaon/ Faridabad	Principal Secretary to Govt. Haryana,
		(v) Approval of building plans of permission for change of land use cases in Gurgaon & Faridabad for the site more than 5 acres, and in other municipal corporations/ councils/ committee	60 days	Chief Town Planner Urban Local Bodies Department	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Govt. Haryana
36.	Urban Local Bodies	Change of land use permission for the sites situated within various controlled areas falling with the municipal limits	60 days	Chief Town Planner, Urban Local Bodies Department	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Government Haryana
37	Urban Local Bodies	Renewal of Fire NOC	15 days	Fire Station Officer	concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned corporation in case of Municipal Corporation.	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation
38	Urban Local Bodies	Issuance of Fire NOC in case of Bridling as per nomenclature of National Building code in case of a) Hostel (A-5) less than 15 meters in height having plot area up to 4000sq. mtr. b) Education Building (B) Less	60 days	Fire Station Officer	S.D.O. (C) of the concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of

	,		•			
		than 15 meters in height having			corporation in	the concerned
		plot area up to 8000 square			case of	corporation in the
		meters.			Municipal	case municipal
		C) Institutional Building (C).			Corporation.	Corporation.
		i) Hospital, Sanatoria and			_	-
		Nursing homes (C-1) less than				
		15 meters in height with plot				
		area up to 4000 square meters.				
		ii) Custodial (C-2) and Penal				
		and Plental (C-3) Less than 10				
		meters in height with plot area up to 4000 square meters.				
		d) Assembly Buildings (D-1 to				
		D-5) Less than 10 meters in				
		height with plot area up to 4000				
		square meters.				
		e) Mercantile & Business				
		Buildings (E,F-1 &F-2) Less				
		than 15 meters in height with				
		plot area up to 4000 square				
		meters.				
		F) Industrial Buildings (G).				
		i) Low Hazard (G-1) Less than				
		15 meters in height but plot area				
		up to 4000 square meters.				
		ii) Moderate Hazard (G-2) Less				
		than 15 meters in height but plot				
		area up to 4000 square meters.				
		iii)High Hazard (G-3) Less than				
		15 meters in height but plot area				
		up to 4000 square meters.				
		g) Storage Buildings (H) Below				
		15 meters in height and plot				
		area up to 4000 square meters.				
20						
39	Urban Local	Issuance of Fire NOC in case of	60 days	Fire Station	Deputy	Addl. Chief
39	Urban Local Bodies	Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature	60 days	Fire Station Officer	Commissioner of	Secretary Urban
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in	60 days		Commissioner of Concerned	Secretary Urban Development
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature	60 days		Commissioner of	Secretary Urban Development
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in	60 days		Commissioner of Concerned	Secretary Urban Development
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of	60 days		Commissioner of Concerned District in case of	Secretary Urban Development Department in
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A)	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council,	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i )Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council,	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director,
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height.	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters.	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B)	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters.	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C)	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1)	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters but but less 8000 square meters but but less 8000 square meters.	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters but but less 8000 square meters but but less 8000 square	60 days		Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters but but less 8000 square meters but but less 8000 square meters.			Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters but but less 8000 square meters. ii) Custodial (C-2)			Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but but less 8000 square meters. ii) Custodial (C-2) and Penal and Plental (C-3) Less than 10 meters in height with			Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and
39		Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters but but less 8000 square meters. ii) Custodial (C-2) and Penal and Plental (C-3) Less			Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal	Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and

	1	1	T		1	T
		meters.				
		d) Assembly Buildings (D-1 to				
		D-5) Less than 10 meters in				
		height with plot area more than				
		4000 square meters but less				
		8000 square meters.				
		e) Mercantile & Business				
		Buildings (E,F-1 & F-2) Less than 15 meters in height with				
		plot area above 4000 square				
		meters but less 8000 square				
		meters.				
		F) Industrial Buildings (G).				
		i) Low Hazard (G-1) less than				
		15 meters in height with plot				
		area above 4000 square meters				
		but less 8000 square meters.				
		ii) Moderate Hazard (G-2) Less				
		than 15 meters in height with				
		plot area above 4000 square				
		meters but less 8000 square				
		meters.				
		iii)High Hazard (G-3) Less than				
		15 meters in height with plot				
		area above 4000 square meters				
		but less 8000 square meters.				
		g) Storage Buildings (H) Below				
		15 meters in height with plot				
		area above 4000 square meters				
		but less than 8000 square				
40	II.k I 1	meters.	(0.1	Fire Station	Director Urban	Addl. Chief
40	Urban Local Bodies	Issuance of Fire NOC in case of Building as per nomenclature of	oo days	Officer	Local Bodies	Secretary Urban
	Doules	National Building code in case		Officer	Local Doules	Development
		of buildings not covered at Sr.				Department.
		No. 38& 39				Department.
41	Urban Local	Approval and renewal of fire	60 days	Fire Station	S.D.O. (C) of the	Deputy
	Bodies	fighting scheme in case of		Officer	concerned Sub	Commissioner of
		Building as per nomenclature of			Division in case	Concerned District
		National Building code in case			of Municipal	in case of
		of				Municipal
		(a) Hostel (A-5) less than 15			Council, Joint	Committee and
		meters in height having plot area				Council,
		up to 4000 square meters.				Commissioner of
		b) Education Building (B)			corporation in	the concerned
		height less than 15 meters in			case of	corporation in the
		height having plot area more			Municipal	case municipal
		than 8000 square meters.			Corporation.	Corporation.
		c) Industrial Buildings (C).				
		i) Hospital, Sanatoria and				
		Nursing homes (C-1) less than				
		15 meters in height with plot				
		area above 4000 square meters. ii) Custodial (C-2) and Penal				
		and Plental (C-3) Less than 10				
		meters in height with plot area				
		up to 4000 square meters.				
		d) Assembly Buildings (D-1 to				
		D-5) Less than 10 meters in				
		height with plot area up to 4000				
		square meters.				
		e) Mercantile & Business				
		Buildings (E,F-1 & F-2) Less				
		than 15 meters in height with				
		plot area up to 4000 square				

		meters. F) Industrial Buildings (G). i) Low Hazard (G-1) less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters. ii) Moderate Hazard (G-2) Less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters. iii) High Hazard (G-3) Less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters. g) Storage Buildings (H) Below 15 meters in height and plot area up to 4000 square meters.				
42	Urban Local Bodies	Approval and renewal of fire fighting scheme in case of Building as per nomenclature of National Building code in case of a) Residential Buildings (A) (i )Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height. (ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters. b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters. c) Institutional Buildings (C) i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters. ii) Custodial (C-2) and Penal and Plental (C-3) Less than 10 meters in height with plot area more than 4000 square meters. d) Assembly Buildings (D-1 to D-5) Less than 10 meters in height with plot area more than 4000 square meters. e) Mercantile & Business Buildings (E,F-1 & F-2) Less than 15 meters in height with plot area more than 4000 square meters. e) Mercantile & Business Buildings (E,F-1 & F-2) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters. f) Industrial Buildings (G). i) Low Hazard (G-1) less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters. ii) Moderate Hazard (G-2) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters. but less 8000 square meters. iii) Moderate Hazard (G-2) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters. but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square meters but less 8000 square	60 days	Fire Station Officer	District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of	Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of

43	Urban Local Bodies	meters. iii)High Hazard (G-3) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters. g) Storage Buildings (H) Below 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less than 8000 square meters. Approval and renewal of fire fighting scheme in case of Building as per nomenclature of National Building code in case of not covered at sr. no. 41 & 42.	60 days	Fire Station Officer	Director, Urban Local Bodies	Addl. Chief Secretary Urban Development
44	Urban Local Bodies	Change of owner/occupier in Property Tax Register (Except in death case)	15 days	Secretary/E.O./ Zonal Taxation Officer in concerned Municipal Committee/ Council/ Corporation	concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation.
45	Urban Local Bodies	Change of owner/occupier in Property Tax Register in death case	45 days	Secretary/E.O./ Zonal Taxation Officer in concerned Municipal Committee/ Council/ Corporation	S.D.O. (C) of the concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned corporation in case of Municipal Corporation.	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation.
46						
47						
48	Public Health Engg.	(i) Sanction of water supply connection in the Rural and Urban areas.	12 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(ii) Sanction of sewerage connection in Cities and MC Towns	12 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
49	Public Health Engg.	(i) Water Leakage/ Over Flow pipes	3 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(ii) Sewerage/ Blocked/ Over flow of Manholes.	7 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED

		(iii). Restoration of Water Supply due to minor problems i.e. fault in pumping machinery, electric wiring, distribution systems etc.	3 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(iv). Restoration of Water Supply due to major problems i.e. shortage of raw water, burning of transformer and fault in LT/HT lines etc.	6 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(v). Restoration of Water Supply due to major problems i.e. burning of transformer, other major electric fault etc. to rectified/repaired by PHED.	10 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
50	Power	Normal fuse off call  In cities and town	4 hours	Concerned Lineman/ Complaint center in charge of the shift	JE [In charge]	SDO[OP]
		In rural area	16 hours	Concerned Lineman/ Complaint center in charge of the shift	JE [In charge]	SDO[OP]
51	Power	Overhead line breakdowns In Cities and Town	8 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural area	16 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
52	Power	Overhead line breakdowns due to breakage of poles.		JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Cities and Towns	12 hours			
		In Rural Area-	24 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
53	Power	Underground cables breakdown In Cities & towns	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural Area	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
54	Power	Distribution Transformer failure In Cities and Towns	24 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural Area	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
55	Power	Major Power failure involving power transformer/equipment	7 days	XEN/ Construction	SE[OP]	CE[OP]
		Alternate arrangement to restore the supply in the affected area	24 hours			

56	Power	Period of Schedule outage	Not to exceed 8 hours in any	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		a) Maximum duration in a single stretch				
		b) Restoration of supply	By 6 PM on any day	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
57	Power	Voltage Fluctuation with no		JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		expansion/ enhancement of network involved		JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Cities and Towns	4 hours			
		In Rural Area-	8 hours			
58	Power	Meter Complaints		JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		(i)Inspect and check correctness after receipt of meter testing fee	-			
		(ii)Replace slow/ fast meters/ Creeping/ stuck/ defective	Within 7 days of its being established on checking	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		(iii)Replace burnt meters if cause not attributable to consumer.	7 days	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		(iv)Replace burnt meters in all other cases after payment of charges	24 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
59	Power	Release of new connection/ additional load/ demand	30 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		[a] Release of connection where service is feasible from existing network	30 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		[b] Release of connection where network expansion/enhancement required for providing connection[Except Agricultural]		SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		(i) For LT Connections	30 days			
		(ii) For 11 KV Connections	71 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		(iii) For 33 KV Connections	90 days	XEN [OP]	SE [OP]	CE [OP]
		(iv) Above 33 KV level connections	90 days	XEN [OP]	SE [OP]	CE [OP]
60	Power	Transfer of title and conversion of services				
		a) Transfer of title and /or change of category	7 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		b) Conversion of LT single phase to LT three phase or vice- versa-		JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		from the date of payment charges	30 days			
		c) Conversion of LT to HT or vice-versa- after payment of charges	30 days	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
			30 days	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]

61	Power	Shifting of meter/service				
		connection and other services				
		(i) Shifting of meter/ service connection	15 days	JE [In charge]	SDO (OP)	XEN (OP)
		(;;) (1; (;) (1 m/1m 1;	45.1	abo (o - i; - )	VEN (OD)	GE (OD)
		(ii) Shifting of LT/HT lines up to 11 KV	45 days	SDO (Operations)	XEN (OP)	SE (OP)
		(iii) Shifting of HT Line exceeding 11KV	45 days	SDO (Operations)	XEN (OP)	SE (OP)
		(iv) Shifting of Transformer	60 days	SDO (Operations)	XEN (OP)	SE (OP)
62	Power	Complaint about consumer bills and restoration of supply Resolution of complaints on disputed electricity bills.  If no additional information is required	24 hours	Commercial Assistant (CA)	SDO (OP)	XEN (OP)
		If additional information is required	7 days	Commercial Assistant (CA)	SDO (OP)	XEN (OP)
63	Power	Reconnection of supply following disconnection due to non-payment of bills-		JE [In charge]	SDO (OP)	XEN (OP)
		Cities and Towns –after receipt of payment from consumer	6 hours			
		Rural area -after receipt of payment from consumer	12 hours	JE [In charge]	SDO (OP)	XEN (OP)
64	Transport	(i) Issuance of Learner Driving License (Sarathi Related Services)	5 days	SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(ii) Issuance of Permanent Driving License (Sarathi Related Services)	7 days	authority SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(iii) Renewal of Driving License	37 days	SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(iv) Issuance of Duplicate driving license	7 days	SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(v) Endorsement of new class in Driving License	7 days	SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
65	Transport	Issuance of Conductor License	7 days	SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
66	Transport	(i) Registration of New Vehicles (VAHAN)	7 days	SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(ii) Transfer of ownership	37 days	SDO(C)-cum- RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District

	r			1	1	1
		(iii) Issuance of NOC	7 Days	SDO(C)-cum-	ADC of	DC of Concerned
				RA/RTA of	concerned	District
				concerned	District	
				authority		
		(iv) Issuance of duplicate RC	7 days	SDO(C)-cum-	ADC of	DC of Concerned
				RA/RTA of	concerned	District
				concerned	District	21541101
				authority	District	
		(v) Tax Clearance Certificate	7 Davis		ADC of	DC of Concerned
		(v) Tax Clearance Certificate	7 Days	SDO(C)-cum-		
				RA/RTA of	concerned	District
				concerned	District	
				authority		
		(vi) HPA Addition/Deletion	7 days	SDO(C)-cum-	ADC of	DC of Concerned
				RA/RTA of	concerned	District
				concerned	District	
				authority		
67	Housing Board	Issue of No Objection	21 Days	Estate Manager of	Chief Revenue	Secretary
07	Trousing Board	Certificate/Duplicate	21 Days	Concerned	Officer Housing	Housing Board
		Allotment/Re- allotment Letter		District	Board Haryana	Haryana
		Anothen/Re- anothen Letter		District	Board Haryana	1 Iai yana
60	Housing Dos1	(i) Issue of Conveyence De-1	15 days	Estata Managar -f	Chief Davierus	Caratamy
68	Housing Board	(i) Issue of Conveyance Deed	15 days	Estate Manager of	Chief Revenue	Secretary
				Concerned	Officer Housing	Housing Board
				District	Board Haryana	Haryana
		(ii) Issue of Conveyance Deed	45 Days	Estate Manager of		Secretary
		through GPA		Concerned	Officer Housing	Housing Board
				District	Board Haryana	Haryana
69	Housing Board	Issue of No Due Certificate	30 Days	Estate Manager of		Secretary
				Concerned	Officer Housing	Housing Board
				District	Board Haryana	Haryana
70	II	Tff	15 D	Estate Manager of		
70	Housing Board	Transfer of property in case of	15 Days			Secretary
		sale		Concerned	Officer Housing	Housing Board
				District	Board Haryana	Haryana
71	Housing Board	Transfer of property in case of	45 Days	Estate Manager of		Secretary
		death (uncontested)		Concerned	Officer Housing	Housing Board
				District	Board Haryana	Haryana
72	Housing Board	Issue of permission for	7 Days	Estate Manager of	Chief Revenue	Secretary
		mortgage		Concerned	Officer Housing	Housing Board
		mortgage		District	Board Haryana	Haryana
73	Housing Roard	Attested copy of any document	7 Days	Estate Manager of	Chief Peyenue	Secretary
13	Housing Board	Attested copy of any document	/ Days			
				Concerned	Officer Housing	Housing Board
				District	Board Haryana	Haryana
74	Housing Board	Change of Ownership (other	45 days	Estate Manager of		Secretary
		than Death Cases)		Concerned	Officer Housing	Housing Board
	<u> </u>			District	Board Haryana	Haryana
75	Housing Board	Demarcation of Plot	21 days	Sub Divisional	Executive	Chief Engineer
			1	Engineer	Engineer	
76				<i>G</i>	6	
, 0						
77						
78	Agriculture	Licence of Seeds	24 days	Deputy Director	Joint Director	Director
				Agriculture	(Administration)	Agriculture
79	Agriculture	Licence of pesticides	24 days	Deputy Director	Joint Director	Director
. ,	1 29.12 411410		, 5	Agriculture	(Administration)	Agriculture
80	Agriculture	Acknowledgement of	24 days	Deputy Director	Joint Director	Director
80	Agriculture		24 uays			
		Receipt/authorization letter of		Agriculture	(Administration )	Agriculture
e ·		fertilizers			:	- ·
81	Agriculture	Renewal of licence of seeds	24 days	Deputy Director	Joint Director	Director
				Agriculture	(Administration )	Agriculture
			24.1	Deputy Director	Joint Director	Director
82	Agriculture	Renewal of acknowledgement	24 days	Deputy Director	John Director	
82	Agriculture	Renewal of acknowledgement of Receipt/authorization letter of	24 days			
82	Agriculture	of Receipt/authorization letter of		Agriculture		Agriculture
		of Receipt/authorization letter of fertilizers		Agriculture	(Administration )	Agriculture
82	Agriculture Agriculture	of Receipt/authorization letter of				

84	Agriculture	Duplicate licence of pesticides	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
85	Agriculture	Duplicate acknowledgement of Receipt/authorization letter of fertilizers	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
86	HSAMB	Issue of NOC/ Duplicate Allotment/ Re-allotment	30 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
87	HSAMB	Issue of Conveyance Deed	30 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
88	HSAMB	Issue of No dues Certificate	15 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
89	HSAMB	Re-transfer of property in case of sale	30 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
90	HSAMB	Re-transfer of property in case of sale (Uncontested Death)	60 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
91	HSAMB	Issue of J form to the farmers	1 day	Mandi Supervisor or Assistant Secretary	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO
92	HSAMB	Providing financial aid (exgratia) to cultivators for any injury or death during farming operations.  i)In case of death- after obtaining viscera report ii) In case of injury	30 days 60 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
93	HSAMB	Issue of NOC for Mortgage	15 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
94	Industries & Commerce	Issuing of Entrepreneurs Memorandum Part-I acknowledgement under MSMED Act, 2006.	3 days	Joint Director/Deputy Director	Additional Director, Industries	Director Industries & Commerce
95	Industries & Commerce	Issuing of Entrepreneurs Memorandum Part-II acknowledgement under MSMED Act,2006	3 days	Joint Director/Deputy Director	Additional Director, Industries	Director Industries & Commerce
96	Industries & Commerce	Boiler Registration under the Indian Boiler Act, 1923	10 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director Industries	Director Industries & Commerce
97	Industries & Commerce	Renewal of Boiler Registration under the Indian Boiler Act 1923	07 days	Chief Inspector of Boilers		Director Industries & Commerce
98	Industries & Commerce	Approval for modification, alteration, repair of boiler under Indian Boiler Act, 1923	07 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director, Industries	Director Industries & Commerce
99	Industries & Commerce	Provisional License for processing under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce
100	Industries & Commerce	Provisional License for Trading under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce

101	l <del>.</del> 1	Tr. 6	00.1	TA 11111 1	In:	n · · ·
101	Industries &	License for processing under	20 days	Additional	Director Industries &	Principal
	Commerce	Lubricating Oils and Greases		Director	Commerce	Secretary, Industries &
		(Processing Supply and Distribution Regulation			Commerce	Commerce
		Order,1987				Commerce
102	Industries &	License for Trading under	20 days	Additional	Director	Principal
102	Commerce	Lubricating Oils and Greases	20 days	Director	Industries &	Secretary,
		(Processing Supply and			Commerce	Industries &
		Distribution Regulation) Order,				Commerce
		1987.				
103	Industries &	Renewal of License for	20 days	Additional	Director	Principal
	Commerce	processing under Lubrication		Director	Industries &	Secretary,
		Oils and Greases (Processing			Commerce	Industries &
		Supply and Distribution Order				Commerce
104	Industries &	1987 Renewal of License for Trading	20 days	Additional	Director	Deinainal
104	Commerce	under Lubrication Oils and	20 days	Director	Industries &	Principal Secretary,
	Commerce	Greases (Processing Supply and		Director	Commerce	Industries &
		Distribution Order, 1987			Commerce	Commerce
105	Industries &	Registration of Firms under	03 days	District Registrar,	State Registrar,	Registrar General,
	Commerce	Indian Partnership Act, 1932.		Firms and		Firms & Societies
		•		Societies		
106	Industries &		03 days	District Registrar,		Registrar General,
	Commerce	under Indian Partnership Act,		Firms and	Firms & Societies	Firms & Societies
		1932.		Societies		
107	Industries &	Approval for change of	03 days	District Registrar,	State Registrar,	Registrar General,
	Commerce	Registered Office under Indian		Firms and	Firms & Societies	Firms & Societies
108	Industries &	Partnership Act, 1932. Registration of Societies under	07 days	Societies District Registrar,	State Registrar,	Registrar General,
108	Commerce	the Haryana Registration and	07 days	Firms and		Firms & Societies
	Commerce	Regulations of Societies Act,		Societies	Tims & Societies	Tims & Societies
		2012		Bocicues		
109	Industries &	Name Approval of Societies	03 days	District Registrar,	State Registrar,	Registrar General,
	Commerce	under the Haryana Registration		Firms and		Firms & Societies
		and Regulations of Societies		Societies		
		Act, 2012				
110	T 1 0	1.60	15 1	D: D	a. P.	D i C I
110	Industries &	Approval of Governing body	15 days	District Registrar,	State Registrar,	Registrar General,
	Commerce	under the Haryana Registration and Regulations of Societies		Firms and Societies	Firms & Societies	Firms & Societies
		Act, 2012		Societies		
		100, 2012				
111	Industries &	Approval for change in	07 days	District Registrar,	State Registrar,	Registrar General,
	Commerce	name/Registered office of		Firms and		Firms & Societies
		society under the Haryana		Societies		
		Registration and Regulations of				
		Societies Act, 2012				
112	Industries 0	Approval for or J '	60 day:-	District Desists	State Desisters	Docistmen C1
112	Industries & Commerce	Approval for amendments in bye-laws of society under the	60 days	District Registrar, Firms and	State Registrar,	Registrar General, Firms & Societies
	Commerce	Haryana Registration and		Societies	i iiiis & societies	i iiiis & societies
		Regulations of Societies Act,		Booleties		
		2012				
113	HSIIDC	Sanction of Building plans/	15 days	DTP/STP	CTP	MD
		revised building plans		concerned		
		(Industrial/Residential)				
114	HSIIDC	Sanction of Building plans/	30 days	DTP/STP	CTP	MD
		revised building plans		concerned		
117	Hans	(Commercial)	15.1	DED (CEE	CTED	, m
115	HSIIDC		15 days	DTP/STP	CTP	MD
114	HSIIDC	certificate for buildings	20 days	Concerned Estate Manager	HOD/(Estata)	MD
116	HOUDE	Issue of No Objection Certificate/Duplicate	20 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
		Allotment/Re-allotment letter				
		anomicin lettel	1	1	1	I

		·				
117	HSIIDC	Issue of conveyance deed	15 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
118	HSIIDC	Issue of No due certificate	15 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
119	HSIIDC	Transfer of plots in cases of sale etc.	30 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
120	HSIIDC	Transfer of plots (uncontested)	45 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
121	HSIIDC	Issue of permission for mortgage	30 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
122	HSIIDC		3 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
123	HSIIDC	Change of ownership (other than death cases)	30 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
124	HSIIDC	Demarcation of plots	05 days	STP/DTP	СТР	MD
125	HSIIDC	Issue of Plinth level certificate	07 days	DTP/STP	СТР	MD
126	HSIIDC	Water and Sewerage Connection	15 Days	DGM/AGM Industrial. Estate	HOD(Estate)	MD,HSIIDC
127	HSIIDC	Allotment of Land/Shed in IE/IDA	60 Days	DGM/Addl. GM(Industrial Estate)	GM, HSIIDC	MD, HSIIDC
128	Food and Supplies	(i) Issue of New Ration Card on receipt of D-I form i.e. Application Form for all Categories	22 Days	Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(ii) Issuance of new ration card on receipt of surrender Certificate	15 days	Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(iii) Issuance of duplicate ration card.	15 days	Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(iv) Inclusion/ Deletion of family member	15 days	Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(v) Change of address within same jurisdiction	15 days	Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(vi) Change of address including change of FPS	15 days	Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(vii) Issuance of surrender certificate /Ration Card/Member Migration/ Ration Card Transfer Application/Surrender of Ration Card Application Form		Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(viii) Ration Card Data Correction and Household Head modification	7 days	Inspector Incharge/ AFSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
129	HUDA	Sanction of Building Plans/ Revised Building Plans	30 days	Estate Officer	Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
130	HUDA	Issue of Completion/ Occupation Certificates for buildings	30 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
131	HUDA	Issue of No objection Certificate( Transfer permission)/ duplicate allotment letter/ re-allotment letter	30 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
132	HUDA	Issue of Conveyance deed	20 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.

100	IIIID A	I CM I C CC	10.1	E OCC	0 17 1	la t · · · · ·
133	HUDA	Issue of No due Certificate	10 days	Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
					Administrator, HUDA	HUDA HQs.
134	HUDA	Transfer of property in case of	30 days	Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
		sale			Administrator,	HUDA HQs.
					HUDA	
135	HUDA	Transfer of property in case of	45 days	Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
		death (Uncontested)			Administrator,	HUDA HQs.
					HUDA	
136	HUDA	Issue of permission for	07 days	Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
		mortgage			Administrator,	HUDA HQs.
127	THIDA	A44-4-1	05 1	E-t-t- Off	HUDA Concerned Zonal	A J:
137	HUDA	Attested copy of any documents	05 days	Estate Officer		Administrator
					Administrator, HUDA	HUDA HQs.
138	HUDA	Change of ownership (other	15 days	Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
136	HODA	than death cases)	13 days	Estate Officer	Administrator,	HUDA HQs.
		than death cases)			HUDA	modrings.
139	HUDA	Demarcation of plots	05 days	Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
10)	110211	prous	oe aays		Administrator,	HUDA HQs.
					HUDA	
140	HUDA	Issue of Plinth (DPC) Certificate	05 days	Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
		, , ,			Administrator,	HUDA HQs.
					HUDA	
141	HUDA	Water Supply and Sewerage	10 days	Concerned	Concerned	Superintendent
		Connection		Executive	Superintendent	Engineer
				Engineer,	Engineer	Headquarters.
				HUDA/SDE		
				HUDA.		
142	HUDA	Sanction of Water	10 days	Concerned	Concerned	Superintendent
		supply and Sewage Connection		Executive	Superintendent	Engineer
		(industrial)		Engineer,	Engineer	Headquarters.
				HUDA/SDE		
143	HUDA	Mortgage 1st Charge	15 days	HUDA. Estate Officer	Concerned Zonal	Administrator
143	пора	(Industrial)	15 days	Estate Officer	Administrator,	HUDA HQs.
		(maustrar)			HUDA	HODA HQs.
144	Town &	Change of land use permission	60 days	Director General,	Additional Chief	_
1-1-1	Country	for the units situated within	oo days	Town & Country	Secretary, Town	
	Planning	various controlled areas of State		Planning	& Country	
	8	within final published		8	Planning	
		development plan of the				
		controlled area and conforming				
		zone (except competency of the				
		Govt.)				
145	Town &	NOC for the units falling	30 days	Senior Town	Chief Town	Director General,
	Country	outside controlled area but		Planner	Planner	Town & Country
4.4.5	Planning	within urban areas	10.1	District.	g : T	Planning
146	Town &	NOC for the units falling	10 days	District Town	Senior Town	Chief Town
	Country	outside controlled area and		Planner	Planner	Planner
1.47	Planning	urban area	20 do	District T	Senior Town	Chief Town
147	Town &	i) License for the brick kilns &	30 days	District Town	Senior Town Planner	Chief Town Planner
	Country Planning	charcoal kilns under the		Planner	rianner	rianner
	1 mining	provisions of the Punjab Scheduled Roads and				
		Controlled Areas Restriction of				
	1	unregulated Development Act,				
	1	1963.				
		ii) License for stone crusher	30 days	Senior Town	Chief Town	Director General,
		under the provisions of the	20 days	Planner	Planner	Town & Country
	1	Punjab Scheduled Roads and		- 10111101		Planning
	1	Controlled Areas Restriction of				
	1	Unregulated Development Act,				
		1963.				
	•	•		*	•	

148	Town & Country Planning	Sanction of building plans of following site/plots which does not involve composition of	45 days	District Town Planner	Senior Town Planner	Chief Town Planner
	T ranning	offence in: i. Licenced residential plotted				
		colonies. ii. Industrial Plotted colonies				
		iii. CLU granted sites having areas upto 2.00 acres				
1.40	TD 0	(8093.70Sqm.).	60.1	G : TD	CI : CT	D: . C 1
149	Town & Country Planning	Sanction of building plans of following sites/plots which does not involve composition of	60 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country Planning.
		offence in:- i). Community Sites upto an area measuring 5.00 acres				
		(20234.25 Sqm.) in licenced colonies				
		ii) CLU granted sites having area more than 2.00 acres				
		(8093.70 Sqm.) and upto 5.00 acres (20234.25 Sqm.).				
		iii). Commercial component having site area upto 2.00 acres in residential plotted colony and				
		industrial plotted colony. iv) All the CLU granted				
		Industrial projects.				
150	Town & Country	a) Sanction of building plans of site other than mentioned at	90 days	Chief Town Planner	Town & Country	Additional Chief Secretary, Town &
	Planning	Sr.No.148 & 149.			Planning	Country Planning
		b) Sanction of building plans of the CLU granted Industrial sites having area more than 5.00 acres (20234.25Sqm.)	60 days			
151	Town & Country	Issue of occupation certificate for the building mentioned at Sr.	45 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country
	Planning	No. 148 provided composition of offence is not involved		Trainer	Tumer	Planning.
152	Town & Country	Issue of occupation certificate for plot area for buildings	60 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country
	Planning	mentioned at Sr. 149 provided composition of offence is not involved.				Planning
153	Town & Country	a) Issue of occupation certificate in cases other than mentioned at	90 days	Director General, Town & Country	Additional Chief Secretary, Town	-
	Planning	Sr. No. 150 & 151 above provided composition of offence		Planning.	& Country Planning	
		<ul><li>is not involved.</li><li>b) Issue of occupation certificate</li></ul>				
			60 days			
154	Home	Registration of Marriage under Hindu Marriage Act- from the expiry of 15 days notice period	3 days	Tehsildar (in Rural Area)	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner
				Secretary, Municipal Committee (in Urban Area)	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner

				Deputy/Joint Municipal Commissioner (in Municipal Corporation)	Municipal Commissioner	Deputy Commissioner
155	Home	a) Renewal of Arms License (if the license is presented before the expiry date and the license issuing district is the same where service has been sought).	15 days	Sub Divisional Magistrate (except Panchkula Faridabad, Gurgaon & Ambala Districts)	District Magistrate	
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	<b>Commissioner</b> of Police	
				Deputy Commissioner Of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	
	]	b) Renewal of Arms License (if presented after every alternative cycle of 6 years, where police verification is necessary)		Sub Divisional Magistrate (Ambala rural area)	District Magistrate	
				Deputy Commissioner Police (Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	
				District Magistrate (except Panchkula Faridabad Gurgaon & Ambala Districts)		
			22 days	Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	<b>Commissioner</b> of Police	Divisional Commissioner
				Sub Divisional Magistrate (Ambala Rural area)	District Magistrate	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police(Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner

156	Home	Addition/Deletion of weapon (if the license issuing district is the same where service has been sought). From the expiry of the mandatory notice period of 45 days as provided under the Arms Act.	07 days	District Magistrate (except Faridabad, Panchkula, Ambala & Gurgaon Districts)	Commissioner	
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon Faridabad Districts)	Commissioner of police	Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Rural Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
157	Home	Extension of purchase period of weapon, (within permissible time period and if the license issuing district is the same where services has been sought).		District Magistrate (except Panchkula, Ambala, Faridabad & Gurgaon Districts)	Commissioner	
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Rural Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
158	Home	Registration of Foreigners (Arrival and Departure)	Immediate	Assistant Commissioner of Police (Hq.) Ambala & Panchkula District	Police Ambala/ Panchkula	Commissioner of Police
				Assistant Commissioner of Police/HQ. Gurgaon & Faridabad Districts Foreigners Registration Officer (FRO)	Police Gurgaon and Faridabad	Commissioner of Police

				Deputy Superintendent of Police (HQ) (except Ambala, Panchkula, Faridabad & Gurgaon Districts)		Range IG
159	Home	Extension of Residential Permit of Foreigners.	05 days	Assistant Commissioner of Police HQ Ambala Urban Area, Panchkula/ Ambala Rural Area Assistant Joint	Deputy Commissioner of Police Deputy	Commissioner of Police  Commissioner of
					Commissioner of Police	Police
				Deputy Superintendent of Police HQ (except Ambala, Panchkula, Faridabad & Gurgaon Districts)		Range IG
160	Home	Copy of FIR or DDR.	Immediate/ Online	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
161	Home	NOC for use of loud speakers (applicable only in case of S.D.M. obtain N.O.C. from the concerned SHO before granting permission).	05 days	Sub Divisional Magistrate (except Ambala, Panchkula, Faridabad & Gurgaon Districts)	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
					Commissioner of Police  Commissioner of Police	Commissioner
				Gurgaon Districts Foreigners Registration Officer (FRO)		

162	Home	NOC for Fairs/Melas/Exhibition/ Sport Events etc.	05 days	Sub Divisional Magistrate (except Panchkula, Faridabad & Gurgaon& Ambala Districts)		Divisional Commissioner
				Assistant/ Deputy	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Joint/ Assistant Commissioner of Police, Gurgaon & Faridabad HQ.	Commissioner of Police .	Divisional Commissioner
163	Home	Stranger Verification (after receiving the verification from the other District/State of which the stranger is resident)	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station		Superintendent of Police/Commission er of Police
164	Home	Tenant/Servant Verification (if resident of local area)	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Commissioner of
165	Home	Tenant/Servant Verification if resident of other District/State and after receiving the verification from other District/State)	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Commissioner of
166	Home	Other Verification related services.	30 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/ Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Commissioner of
167	Home	Copy of untraced report in road accident cases.	90 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent o Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Commissioner of
168	Home	Copy of untraced report in cases pertaining to stolen vehicles.	90 days	Station House Officer of the concerned Police Station		Commissioner of
169	Home	Copy of untraced report in theft cases.	60 days	Station House Officer of the concerned Police Station		Commissioner of

170	Home	NOC for pre-owned vehicles.	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Commissioner of
171	Home	Service Verification (in case of Resident of Haryana).	10 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Commissioner of
172	Home	Character Verification	10 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Commissioner of
173	Home	Verification for renewal of Arms License.	22 days	Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				DCP (Panchkula & Ambala Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Sub Divisional Magistrate/City Magistrate (except Faridabad, Panchkula, Gurgaon & Ambala Districts)	District Magistrate	Divisional Commissioner
174	Home	NOC for issuance/renewal of License of Arms Dealers.	15 days	Joint Commissioner of Police, Faridabad & Gurgaon Districts.	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police, Ambala & Panchkula Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				District Magistrate (except Panchkula Ambala, Faridabad & Gurgaon)	Divisional Commissioner	
175	Home	Issuance of NOC for setting up of Petrol Pump, Cinema Hall etc.	15 days	District Magistrate, (except Panchkula Ambala, Faridabad & Gurgaon	Divisional Commissioner	

				Commissioner of Police for Faridabad, Gurgaon, Ambala & Panchkula Districts	Divisional Commissioner	
176	Home	Passport Verification	21 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
177	Home	Verification for fresh Arms License	30 days	Deputy Commissioner (except Panchkula Faridabad, Gurgaon & Ambala Districts)		
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Disrticts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Rural Areal)	<b>Commissioner</b> of Police	Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Urban Area)	<b>Commissioner</b> of Police	Divisional Commissioner
178	Empowerment	Ladli Social Security Allowance Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
179	Social Justice and Empowerment	Old age Samman allowance (Pension Scheme)	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
180	Social Justice and Empowerment	Handicapped Pension	120 days	District Social Welfare officer of the concerned District	Addl. Deputy  Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
181	and	Haryana Pension to Widows and destitute Women scheme (Widow Pension)	120 days	District Social Welfare officer of the concerned District	Commissioner	Deputy Commissioner of the concerned District
182	Social Justice and Empowerment	Financial Assistance to destitute children scheme	120 days	District Social Welfare officer of the concerned District		Deputy Commissioner of the concerned District

183	Social Justice	Financial Assistance to Kashmiri	120 days	District Social	Addl. Deputy	Deputy
- 50	and	Migrant families Scheme		Welfare Officer of		Commissioner of
	Empowerment			the concerned		the concerned
				District	District	District
184	Social Justice	Financial Assistance to Non	120 days	District Social	Addl. Deputy	Deputy
	and	school going disabled children		Welfare Officer of		Commissioner of
	Empowerment			the concerned		the concerned
185	Social Justice	Dwarf allowance Scheme	120 days	District District Social	District Addl. Deputy	District Deputy
	and	Dwarr anowance scheme	120 days	Welfare Officer of		Commissioner of
	Empowerment			the concerned	the concerned	the concerned
				District	District	District
186	Social Justice	Eunuch allowance Scheme	120 days	District Social	Addl. Deputy	Deputy
	and		•	Welfare Officer of		Commissioner of
	Empowerment			the concerned	the concerned	the concerned
				District	District	District
187	Science & Technology	Application Form for HSCST Fellowship for doing Ph.D	120 days	Chief Scientific Engineer HSCST	Secretary/EC HSCST	Chairman/EC HSCST
188	Science &	Application Form for promotion	120 days	Scientific	Principal Scientist	
100	Technology	of Science Education (POSE)	341,0	Engineer (A) SG	(SG)	_ 1100001
		Scholarship for B.Sc.&		5 . (3,23	<u> </u>	
		M.Sc.students-after closing date				
189	Labour Deptt.		26 days	Addl. Labour	Labour	Principal Secy,
		employer's establishment and		Commissioner	Commissioner	Labour
		license for contractors under				
		provision of contract labour				
		Act,1970				
		ii) Approvals of plans from	45 days	Addl. Director-	Labour	Principal Secy,
		Factories Department under		cum-Addl. Chief	Commissioner -	Labour &
		Factories Act, 1948		Inspector of	cum- Chief	Employment,
				Factories, Haryana	Inspector of Factories,	Govt.of Haryana.
					Haryana	
		iii) Factories License under	45 days	Addl. Director-	Labour	Principal Secy,
		Factories Act, 1948	.5	cum-Addl. Chief	Commissioner -	Labour &
				Inspector of	cum- Chief	Employment,
				Factories, Haryana		Govt.of Haryana.
					Factories,	
			15.1	T 1 T	Haryana	T 1
		iv) Shop Registration under Shops and Establishment Act	15 days	Labour Inspector	Assistant Labour Commissioner	Labour Commissioner
190	Forest Deptt.		15 days	Divisional Forest		Chief Conservator
170	- 51000 Dopu.	is the second of			Forests(CF)	of Forests (CCF)
					, ,	
191	Forest Deptt.		15 days	Divisional Forest	Conservator of	Chief Conservator
		Forest or Restricted lands		Officer(DFO)	Forests(CF)	of Forests (CCF)
192	Horticulture	Hort Net: Sanction of	21 days	Dy. Director	Joint Director	Mission Director
1,72	Deptt.	application upon submission of	21 days	Horticulture/Nati-	John Director	THISSION DITCH
	· F · · ·	complete documents		onal Horticulture		
				Mission		
				(DDH/NHM)		
193	Horticulture	MINET: Sanction of application	16 days	Dy. Director	Joint Director	Director General
	Deptt.	upon submission of complete		Horticulture/		Horticulture
		documents		Micro Irrigation		
194	Horticulture	Fruit License: Grant of Nursery	90 days	(DDH/MI) Dy. Director	Joint Director	Director General
194	Deptt.	Fruit License: Grant of Nursery Fruit License.	90 days	Dy. Director Horticulture/	Joint Director	Horticulture
	Depti.	Tait License.		Project & Nursery		Hornoulture
				(DDH/P&N)		
195	Horticulture	Polynet: Sanction of application	21 days	Dy. Director	Joint Director	Director General
					1	Horticulture
	Deptt.	upon submission of complete		Horticulture/		пописините

196	Horticulture	Seed License: Grant of Nursery	90 days	Dy. D irector	Joint Director	Director General
170	Deptt.	Seed License. Grant of Nursery	o days	Horticulture/	Joint Director	Horticulture
	Бери.	Seed Electise		Vegetable		Tiorneunuic
				(DDH/V)		
197	Fisheries	Services for Loan and subsidy		All District	All Deputy	Director Fisheries.
177	Deptt.	for various schemes under		Officers, District	Director Fisheries	Director Pisheries.
	Бери.	FFDA:		Fisheries Officer-	(Division Level)	
		i) Selection of Pond.	10 days	cum-Chief	(Division Level)	
		ii) Plan & Estimate of	15 days	Executive Officer.		
		Pond.	15 days	Fish Farmer		
		iii) Forwarding bank loan	15 days	Development		
		application to Banks.	15 days	Agency and All		
		iv) Imparting training for		Fisheries Farm		
		fish culture after	30 days	Managers.		
		receiving application.	30 days	Managers.		
198	Fisheries	Services for Loan and subsidy		All District	All Deputy	Director Fisheries.
	Deptt.	for Development of Water		Officers, District	Director Fisheries	
	•	logged Areas.		Fisheries Officer-	(Division Level)	
		i) Selection of Pond.	10 days	cum-Chief	, ,	
		ii) Plan & Estimate of	15 days	Executive Officer,		
		Pond.		Fish Farmer		
		iii) Forwarding bank loan	15 days	Development		
		application to Banks.	-	Agency and All		
		iv) Imparting training for		Fisheries Farm		
		fish culture after	30 days	Managers.		
		receiving application.				
199	Fisheries	Services for Seed supply from	In the month	All District	All Deputy	Director Fisheries.
	Deptt.	Government Fish Seed farm to	of Feb./	Officers, District	Director Fisheries	
		Fish Farmers	March/	Fisheries Officer-	(Division Level)	
		<ol> <li>Stocking of fish seed.</li> </ol>	July/	cum-Chief		
			Aug./	Executive Officer,		
			Sept.	Fish Farmer		
				Development		
				Agency and All		
				Fisheries Farm		
				Managers.		

D. S. DHESI, Chief Secretary to Government, Haryana.